#### GOVERNMENT OF INDIA



#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

## प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] दिल्ली, सोमवार, जनवरी 15, 2018/पौष 25, 1939 [ रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 414 No. 12] DELHI, MONDAY, JANUARY 15, 2018/PAUSHA 25, 1939 [N.C.T.D. No. 414

### भाग—IV PART—IV

#### राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

#### GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

#### शहरी विकास विभाग

#### अधिसूचना

दिल्ली, 15 जनवरी, 2018

सं. फा. 13(253)/यूडी/एमबी/2017/284.—माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली के सीएम सं० 22698–99/2017 एवं 24626/2017, डब्ल्यूपी (सी) 8917/2015, डब्ल्यूपी (सी) 9006/2015, डब्ल्यू पी(सी) 9480/2017 तथा डब्ल्यूपी (सी) 9664/2017 तथा सीएम सं. 39355/2017 दिनांक 19.9.2017, 15.11.2017 तथा 5.12.2017 के आदेशों के अनुसरण में तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 5 एवं पर्यावरण (संरक्षण) नियमावली, 1986 के नियम 4 (5) के साथ पठित दिनांक 10.9.1992 की अधिसूचना सं० यू—11030/जे/91—यूटीएल के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 तथा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई ठोस कचरा प्रबन्धन नियमावली, 2016 के नियम 15 (ई), 15 (एफ) एवं 15 (जेडएफ) के अन्तर्गत शक्तियों के प्रयोग में दिल्ली छावनी परिषद को प्रभावी बनाने के निदेश देते हैं।

#### अध्याय-1

#### सामान्य

- 1. **संक्षिप्त नाम और लागू होने की तारीख**ः (1) ये उप—नियम दिल्ली छावनी बोर्ड टोस कचरा प्रबंधन उप—नियम, 2017 कहलाएंगे।
  - (2) ये उप-नियम दिल्ली के राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 2. **प्रयोज्यता** : ये उप—िनयम दिल्ली छावनी बोर्ड (जिसे बाद में इन उपनियमों में 'डीसीबी' कहा जाएगा) की प्रादेशिक सीमाओं के भीतर लागू होंगे।

308 DG/2018 (1)

#### 3. परिभाषाए :

- (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन उप-नियमों में निम्नांकित परिभाषाएं लागू होंगी :--
  - (क) "बल्क उद्यान और बागवानी कचरा" का अर्थ है, उद्यानों, बागों आदि से उत्सर्जित बल्क कचरा, जिसमें घास कतरन, खरपतवार, कार्बनयुक्त काष्ट 'ब्राउन' सामग्री जैसे पेडों की छंटाई से उत्पन्न कचरा, पेड़ों की कटिंग, टहनियां, लकड़ी की कतरन, भूसा, सूखी पत्तियां, पेड़ों की छंटाई आदि से उत्पन्न ठोस कचरा, जो दैनिक जैव अपघटीय कचरे के संकलन में समायोजित नहीं किया जा सकता।
  - (ख) 'बल्क कचरा उत्सर्जक' का अर्थ है ठोस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 (जिन्हें यहां बाद में 'एसडब्ल्यूएम नियम' कहा जाएगा) के नियम 3(1) (8) के अंतर्गत परिभाषित बल्क कचरा उत्सर्जक और सम्बद्ध वार्ड कार्यालय के सहायक आयुक्त या उससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिसूचित ठोस कचरा उत्सर्जक;
  - (ग) ''संग्रह'' का अर्थ है, कचरा उत्सर्जन के स्रोत से ठोस कचरे को उठाना और संग्रहण बिंदुओं या किसी अन्य स्थान तक पहुंचाना;
  - (घ) ''सक्षम प्राधिकारी'' का अर्थ है डीसीबी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई व्यक्ति।
  - (ङ) "निर्माण और विध्वंस कचरा" का वही अर्थ होगा, जो निर्माण एवं विध्वंस कचरा नियम, 2016 के नियम 3(1)(ग) में परिभाषित किया गया है।
  - (च) "स्वच्छ क्षेत्र" का अर्थ है, किसी परिसर के सामने और चारों ओर या निकटवर्ती फुटपाथ तक विस्तारित स्वच्छ सार्वजनिक स्थल, जिसमें नाली, फुटपाथ और पटरी के किनारे शामिल हैं, जिनका रख—रखाव इन उपनियमों के अंतर्गत किया जाना है।
  - (छ) ''सामुदायिक कूड़ा घर (ढलाव)'' का अर्थ है, डीसीबी द्वारा स्थापित और संचालित कोई कूड़ा घर अथवा एक या अधिक परिसरों के मालिकों और/या अधिभोगियों द्वारा मिल कर सड़क किनारे/ऐसे मालिकों/अधिभोगियों के किसी एक परिसर में अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा अधिकृत उनके साझा परिसर में पृथक्कृत ठोस कचरे के संग्रहण के लिए स्थापित और संचालित कोई संग्रह केंद्र;
  - (ज) "कटेनराइज्ड हैंड कार्ट" का अर्थ है, ठोस कचरे के बिन्दु दर बिन्दु संग्रह हेतु डीसीबी या उसके द्वारा नियुक्त एजेंसी / एजेंट द्वारा प्रदत्त ठेला;
  - (झ) "सुपुर्दगी" का अर्थ है किसी भी श्रेणी के ठोस कचरे को डीसीबी के वर्कर या ऐसे कचरे की सुपुर्दगी के लिए डीसीबी द्वारा नियुक्त, प्राधिकृत या लाइसेंस प्रदत्त व्यक्ति को सौंपना अथवा उसे डीसीबी या डीसीबी द्वारा अधिकृत अथवा लाइसेंस प्रदत्त एजेंसी द्वारा प्रदान किए गए वाहन में डालना;
  - (ञ) "ई—कचरा" का अर्थ वही होगा, जो ई—कचरा (प्रबंधन) नियम, 2016 के नियम 3(1)(आर) में निर्दिष्ट किया गया है;
  - (ट) "फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन (एफसीटीएस)" का अर्थ है, एक ऊर्जा चालित मशीन, जिसका डिजाइन बिखरे हुए ठोस कचरे को कम्पैक्ट करने के लिए किया गया है और जो प्रचालन के समय स्थिर रहती है। प्रचालन के समय कम्पैक्टर मोबाइल भी हो सकती है, जिसे मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन (एमटीएस) कहा जा सकता है;
  - (ठ) ''कूड़ा–करकट'' का अर्थ है, सभी प्रकार का कूड़ा और उसमें कोई भी ऐसा कचरा पदार्थ शामिल है, जिसे फेंकना अथवा संग्रह करना इन उप–िनयमों के अंतर्गत प्रतिबंधित है और ऐसा करने से किसी व्यक्ति, जीव जंतु को परेशानी होने, या पर्यावरण अथवा सार्वजिनक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के प्रति खतरा पहुंचने की आशंका हो।
  - (ड) "गंदगी फैलाने" का अर्थ है, किसी ऐसी बस्ती में गंदगी उत्सर्जित करना, डालना, दबाना अथवा त्संबंधी अनुमित देना, जहां वह गिरती, ढलती, बहती,, धुल कर, रिस कर अथवा किसी अन्य तरीके से पहुंचती हो अथवा गंदगी के उत्सर्जित होने, बह कर आने, धुल कर आने या अन्य किसी तरह से खुले या सार्वजनिक स्थल पर आने की आशंका हो।
  - (ढ) "स्वामी" का अर्थ है, जो किसी भवन, या भूमि या उसके किसी भाग के मालिक के रूप में अधिकारों का इस्तेमाल करता है;
  - (ण) "अधिभोगी/पट्टेदार" का अर्थ है, ऐसा व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का अधिभोगी/पट्टेदार हो, इसमें ऐसा व्यक्ति भी शामिल है, जो तत्समय किसी प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन या उसके हिस्से का इस्तेमाल कर रहा हो;
  - (प) "पैलेटाइजेशन" का अर्थ है, एक प्रक्रिया, जिसमें पैलेट तैयार की जाती हैं, जो ठोस कचरे से बने छोटे क्यूब अथवा सिलिंडरीकल टुकड़े होते हैं, और उनमें ईंघन पैलेट्स भी शामिल होते हैं, जिन्हें रिफ्यूज डेराइव्ड ईंधन कहा जाता है;
  - (फ) ''निर्धारित'' का अर्थ है, एसडब्ल्यूएम नियमों और / या इन उप–नियमों द्वारा निर्धारित;
  - (ब)''सार्वजनिक स्थल'' का अर्थ है, कोई ऐसा स्थान, जो आम लोगों के इस्तेमाल और मनोरंजन के लिए सहज सुलभ है, भले ही वह वास्तव में लोगों द्वारा इस्तेमाल या उपभोग किया जा रहा हो या नहीं;
  - (म) ''संग्रहण'' का अर्थ है, ठोस कचरे को अस्थायी तौर पर इस तरह से संग्रह करना जिससे गंदगी न फैले और मच्छर आदि कीटों, आवारा पशुओं और अत्यधिक बदबू का प्रकोप रोका जा सके;
  - (म) "सेनिटरी वर्कर" का अर्थ है, डीसीबी इलाकों में ठोस कचरा एकत्र करने या हटाने अथवा नालियों को साफ करने के लिए डीसीबी / एजेंसी द्वारा नियोजित व्यक्ति;
  - (य) "शेड्यूल" का अर्थ है, इन उप-नियमों से सम्बद्ध शेड्यूल;

- (र) "इस्तेमालकर्ता शुल्क/प्रभार" का अर्थ है, डीसीबी द्वारा समय समय पर सक्षम प्राधिकारी के सामान्य या विशेष आदेश के जिए कचरा उत्सर्जक पर लगाया गया शुल्क या प्रभार, ताकि ठोस कचरा संग्रह, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान सेवाओं की आंशिक अथवा पूर्ण लागत कवर की जा सके;
- (ल) ''खाली प्लॉट'' का अर्थ है, प्राइवेट पार्टी / व्यक्ति / सरकारी एजेंसी से सम्बद्ध कोई ऐसी भूमि या खुला स्थान. जिस पर किसी का कब्जा न हो।
- (2) यहां प्रयुक्त लेकिन परिभाषित न किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों, का अर्थ वही होगा, जो ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम 2016 में अभिप्रेत है।

#### अध्याय-2

## ठोस कचरे का पृथक्करण और प्राथमिक संग्रहण

- 4. ठोस कचरे का स्रोत पर पृथक्करण और संग्रहण :-
- (i) सभी कचरा उत्सर्जकों के लिए अनिवार्य होगा कि वे उनके स्वयं के स्थलों से उत्सर्जित होने वाले ठोस कचरे को नियमित रूप से पृथक करें और उसे संगृहीत करें। यह पृथक्करण मुख्य रूप से निम्नांकित 3 वर्गों में किया जाएगा :--
  - (क) गैर-जैव अपघटीय या सूखा कचरा
  - (ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
  - (ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा, और तीनों श्रेणियों के कचरे को कवर्ड कचरा डिब्बों में रखा जाएगा, तथा समय समय पर जारी डीसीबी के निर्देशों के अनुसार पृथक्कृत कचरे को निर्दिष्ट कचरा संग्रहकर्ताओं को सौंपेगा।
- (ii) प्रत्येक बल्क कचरा उत्सर्जक के लिए अनिवार्य होगा कि वह स्वयं के स्थलों पर उत्सर्जित ढोस कचरे को पृथक करे और उसे संगृहीत करे निम्नांकित 3 वर्गों में :--
  - (क) गैर–अपघटीय या खुश्क कचरा
  - (ख) जैव अपघटीय या गीला कचरा
  - (ग) उपयुक्त कूड़ेदानों में जोखिमपूर्ण कचरा और पृथक्ककृत कचरे को अधिकृत कचरा संग्रहण एजेंसी जिए अधिकृत कचरा प्रसंस्करण अथवा निपटान केंद्रों या संग्रहण केंद्रों को सौंपेगा और उसके लिए को डीसीबी द्वारा समय समय पर निर्धारित ढुलाई शुल्कों का भुगतान अधिकृत कचरा संग्रह एजेंसी को करेगा।
- (iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए कूड़ेदानों का रंग इस प्रकार होगा : हरा : जैव अपघटीय कचरे के लिए; नीला : गैर-जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए, काला : घरेलू जोखिम पूर्ण कचरे के लिए।
- (iv) सभी निवासी कल्याण और बाजार संगठन, डीसीबी के भागीदारी से, यह सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा स्रोत पर कचरे का पृथक्करण किया जाए, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत किया जाए और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालों को सौंपी जाएं। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो—मिथेनेशन तकनीक के जिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को डीसीबी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।
- (v) 5000 वर्गमीटर क्षेत्र से अधिक क्षेत्र पर कब्जा रखने वाले सभी द्वारबंद समुदाय तथा संस्थान डीसीबीकी भागीदारी के साथ, सुनिश्चित करेंगे कि उत्सर्जकों द्वारा कचरे का स्रोत पर पृथक्करण हो, पृथक किए गए कचरे को अलग अलग डिब्बों में रखेंगे और पुनः उपयोग आने वाली सामग्री को अधिकृत कूड़ा संग्रहकर्ताओं या अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालों को सौंपेंगे। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो—िमथेनेशन तकनीक के जिए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को डीसीबी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।
- (vi) सभी होटल और रेस्त्रां, डीसीबी के भागीदारी से, कचरे का स्रोत पर पृथक्करण सुनिश्चित करेंगे, पृथक किए गए ठोस कचरे को अलग अलग डिब्बों में संगृहीत करेंगे और फिर से इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री अधिकृत कचरा संग्रहकर्ताओं अथवा अधिकृत पुनः इस्तेमाल करने वालों को सौंपेंगें। जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग, उपचार और निपटान कम्पोस्टिंग अथवा बायो—मिथेनेशन तकनीक के जिरए यथासंभव परिसर के भीतर ही किया जाएगा। इससे बचे हुए कचरे को डीसीबी द्वारा निर्देशित कचरा संग्रहकर्ताओं या एजेंसी को दिया जाएगा।

- (vii) कोई व्यक्ति गैर—लाइसेंसी स्थान पर कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित नहीं करेगा, जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति एकत्र हों, ऐसा करने के लिए यह जरूरी होगा कि अनुसूची में निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क का भुगतान करते हुए डीसीबी को कम से कम 3 कार्य दिवस अग्रिम ऑनलाइन लिखित जानकारी देनी होगी और ऐसा व्यक्ति या आयोजन यह सुनिश्चित करेगा कि ठोस कचरे को स्रोत पर अलग अलग किया जाए, ताकि डीसीबी द्वारा निर्धारित संग्रहकर्ता या एजेंसी को सौंपा जा सके।
- (viii) सेनिटरी उत्पादों से उत्सर्जित कचरे को तत्सबंधी विनिर्माताओं या ब्रैंड मालिकों द्वारा प्रदान किए गए पाउचों अथवा अखबारों या उपयुक्त जैव अपघटीय संलेपन सामग्री में सुरक्षित तरीके से संलेपित किया जाए और उसे गैर—जैव अपघटीय या खुश्क कचरे के लिए बनाए गए कूड़ेदान में रखा जाना चाहिए।
- (ix) प्रत्येक गली विक्रेता अपने क्रियाकलाप के दौरान उत्सर्जित होने वाली खाद्य सामग्री, निपटान योग्य प्लेटें, कप, डिब्बे, रैपर्स, नारियल के खोल, बचा खुचा भोजन, सब्जियां, फल आदि को अलग अलग करके उपयुक्त कूड़ेदानों में संग्रहीत करेगा और उसे डीसीबी द्वारा अधिसूचित डिपो या कंटेनर या वाहन को सौंपेगा।
- (x) उद्यान और बागवानी के कचरा उत्सर्जक अपने परिसर में उत्सर्जित कचरे को अलग से एकत्र करेंगे और समय-समय पर डीसीबी के निर्देशों के अनुसार उसका निपटान करेंगे।
- (xi) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्रत्येक कचरा उत्सर्जक द्वारा स्टोर किया जाएगा और उसे डीसीबी या उसके द्वारा अथवा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार या दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) द्वारा ऐसे कचरे के संग्रह के लिए साप्ताहिक / समय समय पर उपलब्ध कराए गए वाहन तक पहुंचाया जाएगा अथवा ऐसे कचरे को दिल्ली सरकार या डीपीसीसी द्वारा अधिदेशित तरीके से निपटान के लिए निर्दिष्ट कचरा संग्रह केंद्र तक पहुंचाया जाएगा।
- (xii) निर्माण कार्यों और भवनों को ढहाए जाने से उत्सर्जित कचरा, निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार अलग से एकत्र ओर निपटान किया जाएगा।
- (xiii) बायो मेडिकल कचरा, ई—कचरा, जोखिमपूर्ण रासायनिक एवं औद्योगिक कचरा बिना उपचारित किए ठोस कचरे में मिश्रित नहीं किया जाएगा। ऐसे कचरे का निपटान पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए तत्संबंधी नियमों के अनुसार किया जाएगा।
- (xiv) निर्दिष्ट बूचड़खानों और बाजारों को छोड़ कर अन्य परिसरों के प्रत्येक ऐसे मालिक / कब्जाधारी, जो किसी वाणिज्यिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप पोल्ट्री, मछली और पशुवध संबंधी कचरा उत्सर्जित करते हों, उन्हें ऐसे कचरे को अलग से बंद कंटेनर में स्वास्थ्यकर स्थिति में एकत्र करना होगा और रोजमर्रा के आधार पर निर्दिष्ट समयानुसार डीसीबी द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्रदान किए गए कचरा वाहन तक पहुंचाना होगा। ऐसे कचरे को सामुदायिक कूड़ा घरों में डालना निषेध होगा।
- (xv) पृथक किए गए जैव अपघटीय ठोस कचरे को यदि उत्सर्जकों द्वारा कम्पोस्ट न किया गया हो, तो उसे उन्हें अपने परिसर में अलग से एकत्र करना होगा और उसकी डिलिवरी निगम श्रमिक/वाहन/कचरा एकत्रकर्ता/कचरा संग्रहकर्ता अथवा बल्क में जैव अपघटीय कचरा उत्सर्जित करने वाले निर्दिष्ट वाणिज्यिक उत्सर्जकों के लिए प्रदान कराए गए कचरा संग्रह वाहन तक पहुंचाया जाएगा। यह सुपुर्दगी समय समय पर अधिसूचित समयानुसार करनी होगी।

#### अध्याय -3

#### ठोस कचरा संग्रह

- 5. ठोस कचरे का संग्रह निम्नांकित अनुसार किया जाएगा :-
  - (i) डीसीबी के सभी क्षेत्रों या वार्डों में पृथक किए गए ठोस कचरे को घर घर जाकर संग्रह करने के बारे में एसडब्ल्यूएम नियमों का अनुपालन किया जाएगा, जिनके अनुसार मिलन और अनौपचारिक बस्तियों सिहत दैनिक आधार पर प्रत्येक

- घर से कचरा एकत्र किया जाएगा। इसके लिए घर घर जाकर कचरा एकत्र करने की अनौपचारिक प्रणाली को डीसीबी संग्रह प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाएगा।
- (ii) प्रत्येक घर से कचरा एकत्र करने के लिए क्षेत्रवार विशेष समय निर्धारित किया जाएगा और उसे सम्बद्ध क्षेत्र में खास खास स्थानों पर प्रचारित किया जाएगा और डीसीबी वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा । घर घर जाकर कचरा एकत्र करने का सामान्य समय प्रातः 6 बजे से 11 बजे तक निर्धारित किया जाएगा। व्यापारिक प्रतिष्टानों, वाणिज्यिक क्षेत्रों में दुकानों या किसी अन्य संस्थागत कचरा उत्सर्जकों से कचरा एकत्र करने का सामान्य समय प्रातः 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगा।
- (iii) कचरे को स्व—स्थाने प्रोसेस करने वाले बल्क कचरा उत्सर्जकों से अवशिष्ट ठोस कचरे को एकत्र करने के प्रबंध किए जाएंगे।
- (iv) सब्जी फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली बाजार से अविशष्ट ठोस कचरे को रोजमर्रा के आधार पर एकत्र किया जाएगा।
- (v) बागवानी और उद्यान संबंधी कचरा अलग से एकत्र किया जाएगा और उसका निपटान किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए सप्ताह में एक या दो दिन निर्दिष्ट किए जाएंगे।
- (vi) फलों और सब्जी बाजारों, मांस और मछली बाजारों, बल्क बागवानी और उद्यानों से उत्सर्जित जैव अपघटीय कचरे का अनुकूलतम इस्तेमाल करने और संग्रहण एवं ढुलाई की लागत में कमी लाने के लिए ऐसे कचरे को उस क्षेत्र के भीतर प्रोसेस या उपचारित किया जाएगा, जिसमें वह उत्सर्जित होता है।
- (vii) कंटेनरों में कचरे का हाथ से परिचालन निषेध है। यदि दबावों के कारण अपरिहार्य हो तो कचरे का हाथ से निपटान श्रमिकों की उचित देखभाल और सुरक्षा के साथ समुचित संरक्षण के तहत किया जाएगा।
- (viii) कचरा उत्सर्जक अपने पृथक किए गए कचरे को डीसीबी द्वारा अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा तैनात ऑटो—टिप्पर्स / रिक्शा आदि में डालने के लिये जिम्मेदार होंगे। बहुमंजिला इमारतों, अपार्टमेंटों, आवास परिसरों (इन उपनियमों के खंड 4 के उप—खंड (iv) और (v) के अंतर्गत आने वालों को छोड़ कर) से उत्सर्जित पृथक किए गए कचरे को ऐसे परिसरों के मुख्य द्वार से अथवा किसी अन्य निर्दिष्ट स्थान से एकत्र किया जाएगा।
- (ix) कचरा संग्रह उपकरणों और वाहनों के चयन के लिए बदलती जरूरतों और प्रौद्योगिकी में नई खोजों को ध्यान में रखा जाएगा। कचरा एकत्र करने के लिए विशेष क्षमता वाले ऐसे ऑटो टिप्पर या वाहन इस्तेमाल किए जाएंगे, जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगे और उनमें जैव अपघटीय और गेर—जैव अपघटीय कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर भी लगा होगा।
- (x) स्वचालित ध्विन रिकार्डिड उपकरण, घंटी या शोर के स्वीकार्य स्तर तक सीमित हॉर्न भी कचरा संग्रह वाहन में कचरा संग्रहकर्ताओं द्वारा इस्तेमाल किया जाएगा।
- (xi) प्रत्येक प्राथमिक संग्रहण तथा ढुलाई वाहन के लिए मार्ग योजनाएं और डीसीबी द्वारा या अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ये योजनाएं तालिकाबद्ध और जीआईएस मानचित्र के रूप में होंगी, जो डीसीबी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित होंगी और उनमें प्रारंभिक बिंदु, प्रारंभ करने का समय, प्रतीक्षा स्थलों, मार्ग पर रुकने का समय, अंतिम बिंदु और निर्दिष्ट मार्ग के अंतिम समय का उल्लेख होगा। डीसीबी अथवा अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता द्वारा प्रत्येक गली में एक बोर्ड लगाया जाएगा, जिस पर प्राथमिक कचरा संग्रह और ढुलाई वाहनों की समय सारणी प्रदर्शित की जाएगी, तािक क्षेत्र के निवासी निर्धारित समय पर इस सुविधा का लाभ उठा सकें। ऐसी जानकारी डीसीबी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाएगी।
- (xii) तंग गिलयों में, जहां ऑटो टिप्पर या वाहन की सेवाएं संभव न हों, वहां एक थ्रीव्हीलर अथवा छोटा मोटरयुक्त वाहन काम पर लगाया जाएगा, जो ऊपर से हाइड्रोलिक तरीके से संचालित हूपर कवरिंग व्यवस्था से युक्त होंगा और उसमें

- गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग दो कम्पार्टमेंट होंगे। ऐसे वाहनों में हूटर लगा होगा और वह मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन के अनुकूल होगा।
- (xiii) अत्यंत भीड़ भाड़ वाले और अधिक तंग गलियों वाले क्षेत्रों में जहां श्रीव्हीलर या छोटे वाहन भी न जा सकें वहां साइकिल रिक्शा अथवा अन्य प्रकार के उपयुक्त उपकरण तैनात किए जाएंगे।
- (xiv) ऐसी छोटी, तंग और भीड़ी गिलयों / लेनों में जहां थ्रीव्हीलर / रिक्शा आदि का संचालन संभव न हो, ऐसे स्थानों पर बस्ती / गिली के छोर पर खास जगह तय की जाएगी, जहां कचरा संग्रह वाहन खड़ा किया जा सके और वाहन का हेल्पर / ड्राइवर के पास एक सीटी होगी, और वे सीटी बजाते हुए गिली में चल कर ठोस कचरा संग्रह के लिए वाहन के आगमन की घोषणा करेंगे। इस तरह की संग्रह प्रणाली की समय सारिणी नोटिस बोर्ड पर लगाई जाएगी और डीसीबी की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी।
- (xv) ऑटो टिप्पर, थ्रीव्हीलर्स, रिक्शा और इस सेवा में संलग्न किसी अन्य तरह के वाहन केवल घरों से कचरा एकत्र करेंगे, और अन्य स्रोतों जैसे ढलाव, खुले स्थलों, मैदान, कूड़ेदानों और नालियों आदि से कचरा एकत्र नहीं करेंगे।
- (xvi)डीसीबी या उसके अधिसूचित अधिकृत कचरा संग्रहकर्ता प्राथमिक कचरा संग्रहण के लिए क्षेत्र की सभी गलियों / लेनों को कवर करने के लिए जिम्मेदार होंगे।

#### अध्याय-4

#### ठोस कचरे का द्वितीयक संग्रहण

- 6. द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं में ठोस कचरे का संग्रहण निम्नांकित अनुसार किया जाएगा
  - (i) घरों से एकत्र किया गया पृथक ठोस कचरा, कचरा स्टोरेज डिपो, सामुदायिक कूड़ा घरों या अचल या चल अंतरण स्थलों या कचरे के द्वितीयक संग्रहण के लिए डीसीबी द्वारा निर्दिष्ट स्थानों पर ले जाया जाएगा।
  - (ii) ऐसे द्वितीयक संग्रहण बिंदुओं को कंटेनरों (निर्दिष्ट रंग के) से कवर किया जाएगा, जिनमें निम्नांकित के लिए अलग अलग स्टोरेज होंगे —
    - (क) गैर-जैव अपघटीय अथवा सूखा कचरा
    - (ख) जैव अपघटीय अथवा गीला कचरा
    - (ग) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा।
  - (iii) पृथक किए गए कचरे के संग्रहण के लिए डीसीबी द्वारा चिन्हित अलग अलग कंटेनरों का इस्तेमाल निम्नांकित अनुसार किया जाएगा :--
    - हरा : जैव अपघटीय कचरे के लिए
    - नीला : गैर-जैव अपघटीय कचरे के लिए
    - काला : घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए

डीसीबी समय समय पर विभिन्न प्रकार के ठोस कचरे के संग्रहण और वितरण के लिए निर्धारित गोदामों की रंग संहिता और अन्य मानदंड अधिसूचित करेगी ताकि कचरे का सुगम और सुरक्षित संग्रहण हो सके और किसी प्रकार का मिश्रण या रिसाव न हो, जिनका अनुपालन विभिन्न प्रकार के ठोस कचरा उत्सर्जकों को करना होगा।

- (iv) डीसीबी स्वयं अथवा बाहरी एजेंसियों के जरिए ठोस कचरा संग्रहण केंद्रों का संचालन इस ढंग से करेगी कि उनके आसपास अस्वास्थ्यकर और अस्वच्छ स्थितियां पैदा न हों।
- (v) द्वितीयक संग्रहण डिपुओं में विभिन्न आकार के कंटेनर डीसीबी या किन्हीं अन्य निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जो इन उप–नियमों में वर्णित अनुसार अलग अलग रंगों के होंगे।

- (vi) संग्रहण केंद्रों का निर्माण और स्थापना इस बात को ध्यान में रख कर की जाएगी कि किसी निर्दिष्ट क्षेत्र में कचरे के उत्सर्जन की मात्रा कितनी है और जनसंख्या का घनत्व कितना है।
- (vii) संग्रहण केंद्र इस्तेमालकर्ता अनुकूल होंगे और उनका डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि उनसे कचरा ढका रहे और संग्रह किए गए कचरे का खुले वातावरण में कोई दुष्प्रभाव न पड़े।
- (viii) सभी आवास सहकारी समितियों, असोसिएशनों, रिहायशी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और द्वारबंद समुदायों का यह दायित्व होगा कि वे इन उप—िनयमों द्वारा निर्धारित रंगीन कूडेदान रखें और स्वयं के परिसरों में समुचित स्थानों पर पर्याप्त संख्या में ऐसे कंटेनर रखें तािक वहां हर रोज उत्सर्जित कचरा ठीक ढंग से संगृहीत किया जा सके।
- (ix) डीसीबी या उसकी कोई निर्दिष्ट एजेंसी का यह दायित्व होगा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी कूड़ाघरों की धुलाई और उन्हें संक्रमणमुक्त बनाने की व्यवस्था करें।
- (x) सूखे कचरे (गैर–जैव उपघटीय कचरा) के लिए रीसाइकलिंग सेंटर
  - (क) डीसीबी अपने वर्तमान ढलावों अथवा पहचान किए गए खास स्थानों को आवश्यकतानुसार 'रीसाइकलिंग केंद्रों के रूप में परिवर्तित करेगा, जिनका इस्तेमाल गलियों / घर घर जाकर कचरा एकत्र करने संबंधी सेवा के जिरए एकत्र किए गए सूखे कचरे को पृथक करने के लिए किया जाएगा। प्राप्त सूखे कचरे की मात्रा के अनुसार रीसाइकलिंग केंद्रों की संख्या बढ़ाई जा सकती है।
  - (ख) गली / घर घर जाकर कचरा संग्रहण प्रणाली के जिए और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से प्राप्त केवल सूखा कचरा (गैर—जैव अपघटीय) इन निर्दिष्ट 'रीसाइकलिंग केंद्रों' को स्थानांतिरत किया जाएगा। ये निर्दिष्ट केंद्र केवल सूखा कचरा प्राप्त करेंगे।
  - (ग) परिवारों के लिए यह प्रावधान भी होगा कि वे अपना रीसाइकिल योग्य सूखा कचरा इन रीसाइकिलंग केंद्रों पर सीधे जमा करा सकते हैं अथवा अधिकृत एजेंटों और/या डीसीबी के अधिकृत कचरा व्यापारियों को पूर्व अधिसूचित दरों के अनुसार बेच सकते हैं। इस प्रयोजन के लिए प्रत्येक रीसाइकिलंग यूनिट पर एक धर्मकांटा और काउंटर उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी को इस बात की अनुमित होगी कि वे रीसाइकिल योग्य कचरे को एसडब्ल्यूएम नियमों के प्रावधानों के अनुसार द्वितीयक बाजार अथवा रीसाइकिलंग यूनिटों को बेच सकते हैं। अधिकृत एजेंट और/या अधिकृत कचरा व्यापारी बिक्री से प्राप्त राशि रखने के हकदार होंगे।
- (xi) निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के लिए संग्रहण केंद्र
  - (क) घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे के संग्रह के लिए एक संग्रहण केंद्र उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया जाएगा, जहां निर्दिष्ट घरेलू जोखिमपूर्ण कचरे को प्राप्त किया जाएगा, ऐसा सरकार द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार प्रत्येक वार्ड में स्थापित किया जाएगा और उसे कचरा प्राप्त करने का समय अधिसूचित करना होगा।
  - (ख) डीसीबी अपनी एजेंसी को या छूटग्राही को यह दायित्व सौंप सकती है कि वह सभी कचरा उत्सर्जकों से घरेलू जोखिमपूर्ण कचरा पृथककृत तरीके से एकत्र करें।
  - (ग) इस तरह एकत्र किया गया कचरा सरकार द्वारा स्थापित जोखिमपूर्ण कचरा निपटान केंद्र पर अलग से लाया जाएगा।

#### अध्याय - 5

## ठोस कचरे की ढुलाई

### 7. ठोस कचरे की दुलाई निम्नांकित बातों को ध्यान में रख कर की जाएगी :--

- (i) कचरे की ढुलाई के लिए प्रयुक्त वाहन भलीभांति कवर्ड होंगे तािक एकत्र कचरे का दुष्प्रभाव मुक्त वातावरण पर न पड़े। इन वाहनों में कम्पैक्टर और मोबाइल ट्रांसफर स्टेशन भी शािमल हो सकते हैं, जो डीसीबी द्वारा चुनी गई प्रौद्योगिकी पर निर्भर करेंगें
- (ii) डीसीबी द्वारा स्थापित संग्रहण केंद्र कचरे के निपटान के लिए हर रोज काम करेंगे। कूड़ेदानों या कंटेनरों के आसपास के क्षेत्र को साफ रखा जाएगा।
- (iii) आवासीय और अन्य क्षेत्रों से एकत्र किया गया पृथककृत जैव अपघटीय कचरा प्रोसेसिंग प्लांटों जैसे कम्पोस्ट प्लांट, बायो–मिथेनेशन प्लांट या किसी अन्य केंद्र तक कवर्ड तरीके से पहुंचाया जाएगा।
- (iv) जहां कहीं प्रयोज्य हो, जैव अपघटीय कचरे के लिए, ऐसे कचरे की स्व—स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी।
- (v) एकत्र किया गया गैर—जैव अपघटीय कचरा सम्बद्ध प्रोसेसिंग केंद्रों अथवा द्वितीयक संग्रहण केंद्रों में पहुंचाया जाएगा।
- (vi) निर्माण और विध्वंस जन्य कचरे की ढुलाई निर्माण एवं विध्वंस कचरा प्रबंधन नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।
- (vii) डीसीबी कचरे की समुचित ढंग से ढुलाई के प्रबंध करेगा। गलियों को बुहारने से उत्पन्न कचरा और नालियों से निकाली गई गाद काम समाप्त होने के तत्काल बाद हटाई जाएगी।
- (viii)ढुलाई वाहनों का डिजाइन इस तरह से तैयार किया जाएगा कि अंतिम निपटारे से पहले कचरे के बार बार परिचालन से बचा जा सके।
- (ix) कचरा संग्रहण के लिए काम में लगाए गए वाहन कचरे को केवल एमटीएस अथवा एफसीटीएस, जहां कहीं प्रदान किए गए हों, में जमा / स्थानांतरित करेंगे।
- (x) यदि किसी कारणवश एमटीएस / एफसीटीएस निर्दिष्ट स्थल पर खड़े नहीं पाए जाएंगे, तो 'लदा वाहन' एमटीएस अथवा एफसीटीएस के अगले निर्दिष्ट स्थल अथवा कचरे को उतारने के लिए डीसीबी द्वारा निर्दिष्ट स्थल तक जाएगा।
- (xi) फिक्स्ड कम्पैक्टर ट्रांसफर स्टेशन को हुक लोडर के जिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाएगा।
- (xii) एमटीएस या एफसीटीएस कचरे को कम्पोस्ट प्लांट, कचरे से ऊर्जा बनाने वाले प्लांट या डीसीबी द्वारा निर्दिष्ट किसी अन्य स्थल / प्लांट तक ले जाएगा।
- (xiii)कचरे की ढ्लाई के दौरान विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित कचरे का परस्पर मिश्रण नहीं होना चाहिए।
- (xiv)कचरे के गली स्तरीय संग्रहण और ढ्लाई सेवाएं अवकाश के दिनों सहित हर दिन उपलब्ध कराई जाएंगी।
- (xv)इस सेवा में संलग्न एमटीएस केवल गली स्तरीय प्रचालनों से कचरा संग्रह करने वाले निर्दिष्ट ऑटो–टिप्परों, तिपहिया या अन्य वाहनों / कूड़ादानों से कचरा प्राप्त करेगा।
- (xvi)परिवारों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों से गली स्तरीय और घर घर जाकर ठोस कचरा संग्रह करने में लगे ऑटो टिप्परों, तिपहिया वाहनों, रिक्शों आदि से कचरा प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित रूट प्लान के अनुसार निर्दिष्ट स्थानों पर प्रतिबद्ध एमटीएस तैनात किए जाएंगे।

- (xvii)एमटीएस और एफसीटीएस का डिजाइन ऐसा होगा, जो कचरे को प्राथमिक संग्रहण वाहनों से उतारने में कम से कम समय लें और कूड़ा करकट इधर उधर न फैले।
- (xviii)ठोस कचरे को स्थानांति करते समय एमटीएस और एफसीटीएस के इर्द गिर्द रिसे हुए कचरे को साफ किया जाना चाहिए, तािक कोई रिसाव न बचे। ऐसे स्थान पर सफाई प्रक्रिया पूरी होने के बाद संक्रमण विरोधी पदार्थ इस्तेमाल किए जाने चाहिए।
- (xix)डीसीबी अथवा उसकी निर्दिष्ट एजेंसी सभी द्वितीयक संग्रहण केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगाएगी।

#### अध्याय - 6

#### ठोस कचरे की प्रोसेसिंग

#### 8 ठोस कचरे की प्रोसेसिंग :

- (i) डीसीबी ठोस कचरा प्रोसेसिंग केंद्रों और सम्बद्ध ढांचे के निर्माण, प्रचालन और रख—रखाव की स्वयं व्यवस्था करेगा अथवा किसी एजेंसी के जिरए इस कार्य को अंजाम देगा, तािक ठोस कचरे के विभिन्न घटकों का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। इसके लिए निम्नांकित प्रौद्योगिकियों सिंहत उपयुक्त प्रौद्योगिकी अपनाई जाएगी और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय समय पर जारी दिशा—निर्देशों और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन किया जाएगा :—
  - (क) ढुलाई की लागत और पर्यावरणीय दुष्प्रभावों को निम्नतम रखने के लिए विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को वरीयता दी जाएगी, जैसे बायो—मिथेनेशन, माइक्रोवियल कम्पोस्टिंग, वर्मी कम्पोस्टिंग, एनायरोबिक डाइजेशन अथवा जैव अपघटीय कचरे की जैव—स्थिरता के लिए कोई अन्य उपयुक्त प्रोसेसिंग पद्धति;
  - (ख)केंद्रीकृत स्थलों पर स्थित मध्यम / बड़े कम्पोस्टिंग / बायो-मिथेनेशन प्लांटों के जरिए;
  - (ग) कचरे से ऊर्जा प्रक्रियाओं के जिए, ठोस कचरा आधारित बिजली संयंत्रों को कचरे के ज्वलनशील अंश के लिए रिफ्यूज डेराइब्ड ईंधन के रूप में अथवा फीड स्टॉक आपूर्ति के रूप में ईंधन प्रदान करते हुए; और / या
  - (घ) निर्माण और विध्वंस कचरा प्रबंधन प्लांटों के जरिए।
- (ii) डीसीबी रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल (आरडीएफ) की खपत के लिए बाजार सुजित करने का प्रयास करेगा।
- (iii) कचरे से बिजली बनाने वाले प्लांट में सीधे भरमीकरण के लिए कचरे का पूर्ण पृथक्करण अनिवार्य होगा और ऐसा करना सम्बद्ध अनुबंधों की कार्यशर्तों का हिस्सा होगा।
- (iv) डीसीबी सुनिश्चित करेगा कि कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच, कपड़ा आदि रीसाइकिल योग्य पदार्थ रीसाइकिल करने वाली अधिकृत एजेंसियों को भेजा जाए।

#### 9. टोस कचरे की प्रोसेसिंग के लिए अन्य दिशा-निर्देश :--

- (i) डीसीबी सभी निवासी कल्याण संगठनों, समूह आवास समितियों, बाजारों, द्वारबंद समुदायां और 5000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र रखने वाले संस्थानों, सभी होटलों और रेस्त्राओं, बेंक्वेट हालों और इस तरह के अन्य स्थलों पर यथासंभव कम्पोस्टिंग अथवा बायो—मिथेनेशन के जिरए जैव अपघटीय कचरे का उसके उत्सर्जन होने के स्थान पर ही प्रोसेसिंग करने की व्यवस्था करेगा। कचरा उत्सर्जन करने वाले अन्य कचरा उत्सर्जकों को भी जैव अपघटीय कचरे की स्व—स्थाने प्रोसेसिंग को वरीयता दी जायेगी।
- (ii) डीसीबी यह नियम प्रवृत्त करेगा कि सब्जी, फल, फूल, मांस, पोल्ट्री और मछली व्यापार मंडियां अपने जैव अपघटीय कचरे की प्रोसेसिंग करते समय स्वच्छ स्थितियां बनाए रखना सुनिश्चित करें।
- (iii) डीसीबी यह नियम प्रवृत्त करेगा कि बागवानी, उद्यानों और पार्कों से उत्सर्जित कचरे का निपटान अलग से यथासंभव पार्कों और उद्यानों में ही किया जाए।

(iv) डीसीबी कचरा प्रबंधन में समुदाय को शामिल करने और घर पर ही कम्पोस्टिंग, बायो गैस उत्पादन, सामुदायिक स्तर पर कचरे की विकेंद्रीकृत प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करेगा। परंतु, ऐसा करते समय बदबू को नियंत्रित रखना और तत्संबंधी यूनिट के आसपास स्वच्छता स्थितियां बनाए रखना अनिवार्य होगा।

#### अध्याय - 7

#### ठोस कचरे का निपटान

#### 10. ठोस कचरे का निपटान :

डीसीबी अवशिष्ट कचरे और गलियों में झाड़ू लगाने से उत्सर्जित कचरे तथा नालियों से निकलने वाली गाद का निपटान एसडब्ल्यूएम नियमों के अंतर्गत निर्धारित ढंग और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य कानून द्वारा लागू किए गए किसी अन्य दायित्व के अनुरूप करने के लिए स्वयं अथवा किसी अन्य एजेंसी के जरिए सेनिटरी लैंडिफल और सम्बद्ध ढांचे का निर्माण, प्रचालन और रख-रखाव करेगा।

#### अध्याय - 8

### इस्तेमालकर्ता शुल्क और स्थल पर ही जुर्माना / दंड लगाना

## 11. ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, निपटान के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क :

- (क) कचरा उत्सर्जकों से कचरा संग्रहण, ढुलाई और निपटान हेतु सेवाएं प्रदान करने के लिए डीसीबी द्वारा इस्तेमालकर्ता शुल्क निर्धारित किया जाएगा। इस्तेमालकर्ता शुल्क की दरें अनुसूची—1 में निर्दिष्ट की गई हैं।
- (ख) कचरा उत्सर्जकों से निर्धारित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली डीसीबी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- (ग) डीसीबी इन उपनियमों की अधिसूचना की तारीख से 3 माह के भीतर, इस्तेमालकर्ता शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए कचरा उत्सर्जकों का डाटाबेस तैयार करेगा और इस्तेमालकर्ता शुल्क की बिलिंग/संग्रह/वसूली के लिए समुचित व्यवस्था विकसित करेगा। डाटाबेस को नियमित रूप से अद्यतन बनाया जाएगा।
- (घ) डीसीबी ऑनलाइन भुगतान सहित इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए विभिन्न पद्धतियां अपनाएगा।
- (ङ) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली के लिए महीने में विशेष दिन निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें प्रत्येक महीने के पहले सप्ताह को वरीयता दी जाएगी।
- (च) वार्षिक और छमाही भुगतान की भी प्रणाली अपनाई जाएगी। यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क समूचे वर्ष के लिए अग्रिम अदा किया जाता है, तो ऐसे में 12 महीने की बजाए 10 महीने का शुल्क लिया जाएगा। इसी प्रकार यदि इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली का भुगतान 6 महीने के लिए किया जाता है तो शुल्क की मांग राशि छह महीने के बजाये साढे पांच महीने के लिए वसूल की जाएगी।
- (छ) अनुसूची 1 में वर्णित इस्तेमालकर्ता शुल्क प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगा।
- (ज) इस्तेमालकर्ता शुल्क की वसूली केवल सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए अधिकृत संस्थान / व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- (झ) इस्तेमालकर्ता शुल्क के भुगतान में चूक होने के मामले में सक्षम प्राधिकारी चूककर्ता से उसकी वसूली छावनी परिषद अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कर की बकाया राशि के रूप में कर सकेगा।

## 12. एसडब्ल्यूएम नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना/दंड :--

- क) एसडब्ल्यूएम नियमों अथवा इन उप—नियमों के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन अथवा अनुपालन करने में विफलता के लिए इन उप—नियमों के परिशिष्ट में दी गई अनुसूची 2 में वर्णित अनुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
- (ख) उपरोक्त खंड (क) में वर्णित अनुसार उल्लंघन या गैर—अनुपालन की स्थिति बार बार आने पर ऐसी प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना प्रतिदिन या महीना, जो भी लागू हो, के अनुसार लगाया जाएगा।
- (ग) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक सामान्य या विशेष आदेश के जरिए जुर्माना या दंड लगाने हेतु अधिकारी निर्दिष्ट करेगा। जुर्माना / दंड राशि अनुसूची 2 में दी गई है।

- (घ) अनुसूची 2 में वर्णित जुर्माना अथवा दंड राशि प्रत्येक परवर्ती वर्ष की पहली जनवरी से स्वतः 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी।
- (ङ) निर्दिष्ट अधिकारियों द्वारा जुर्माना मौके पर लगाया और वसूल किया जाएगा। जुर्माने का भुगतान मौके पर न करने के मामले में पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित अभियोजन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

#### अध्याय - 9

#### प्रतिभागियों के दायित्व

#### 13. कचरा उत्सर्जकों के दायित्व :--

- (i) कूड़ा फैलाने पर पाबंदी
  - (क) किसी सार्वजिनक स्थल पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत सार्वजिनक या निजी कूड़ादानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी सार्वजिनक स्थल पर कूड़ा नहीं फैलाएगा। कोई व्यक्ति विशेष प्रयोजनों के लिए प्रावधान किए गए सार्वजिनक केंद्रों या सुविधाओं को छोड़कर किसी सार्वजिनक स्थल पर वाहनों की मरम्मत, बर्तन या कोई अन्य उपकरण धोने/साफ करने का काम नहीं करेगा या किसी प्रकार का संग्रहण नहीं करेगा।
  - (ख) किसी संपत्ति पर कूड़ा फैलाना : अधिकृत निजी अथवा सार्वजनिक कूड़ेदानों के सिवाय कोई व्यक्ति किसी मुक्त या रिक्त संपत्ति पर कूड़ा करकट नहीं डालेगा।
  - (ग) वाहनों से कूड़ा फेंकना : किसी वाहन के ड्राइवर या यात्री के रूप में कोई व्यक्ति किसी गली, सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थान पर कुड़ा नहीं फेंकेगा।
  - (घ) मालवाहक वाहन से गंदगी डालना : कोई व्यक्ति तब तक किसी ट्रक या अन्य मालवाहक वाहन को नहीं चलाएगा, जब तक कि ऐसे वाहन का निर्माण और लदान इस प्रयोजन के लिए अधिकृत न किया गया हो तािक सड़क, फुटपाथ, खेल के मैदान, उद्यान, ट्रैफिक आइलैंड या अन्य सार्वजनिक स्थलों पर कोई लोड, पदार्थ अथवा गंदगी डालने से रोका जा सके।
  - (ङ) स्वयं/पालतू पशुओं से गंदगी: कुत्ता, बिल्ली आदि सिहत पालतू जानवरों के मालिकों का यह भी दायित्व होगा कि गली अथवा किसी सार्वजिनक स्थल पर ऐसे जानवर द्वारा उत्सर्जित किसी प्रकार की गंदगी को तत्काल उठाएगा/साफ करेगा और इस तरह उत्सर्जित कचरे के समुचित निपटान के लिए समुचित उपाय करेगा, जिनमें स्वयं की सीवेज प्रणाली से निपटान को वरीयता दी जाएगी।
  - (च) नालियों आदि में कचरे का निपटान : कोई व्यक्ति किसी नाली/नदी/खुले तालाब/जल निकायों में गंदगी नहीं डालेगा।
- (ii) कचरे को जलानाः सार्वजनिक स्थानों पर या किसी निजी स्थान पर या निषेध सार्वजनिक संपत्ति पर ठोस कचरे के किसी भी प्रकार के जलाने द्वारा निपटान।
- (iii) "स्वच्छ क्षेत्र" : प्रत्येक व्यक्ति यह प्रयास करेगा कि उसके स्वामित्व या कब्जे वाले परिसर के सामने कोई भी सार्वजनिक स्थान अथवा आसपास का क्षेत्र स्वच्छ रहे। इन स्थानों में फुटपाथ और खुली नालियां / गटर, सड़क किनारा शामिल हैं, जो किसी भी तरह के ठोस या तरल कचरे से मुक्त होने चाहिए।
- (iv) सार्वजनिक सभाओं और किसी कारण (जुलूस, प्रदर्शनियां, सर्कस, मेले, राजनीतिक रैलियां, वाणिज्यिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों आदि सिहत) से सार्वजनिक स्थलों पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों, जिनमें पुलिस विभाग और / या डीसीबी से अनुमति अपेक्षित हो, के मामले में ऐसी

गतिविधियों के आयोजनकर्ता का यह दायित्व होगा कि वह उस क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों की स्वच्छता सुनिश्चित करे।

- (v) ऐसे आयोजनों के मामले में आयोजक से डीसीबी द्वारा अधिसूचित रिफंड योग्य स्वच्छता धरोहर राशि सम्बद्ध जोनल अधिकारी द्वारा प्राप्त की जाएगी, जो कार्यक्रम की अविध में उनके पास जमा रहेगी। यह जमा राशि कार्यक्रम पूरा होने के बाद रिफंड की जाएगी लेकिन उससे पहले यह जांच की जाएगी कि उक्त सार्वजिनक स्थल की स्वच्छता बहाल कर दी गई है और कार्यक्रम के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरा एकत्र करके निर्दिष्ट स्थलों तक पहुंचा दिया गया है। यह धरोहर राशि सार्वजिनक स्थल की स्वच्छता के लिए होगी और इसमें संपत्ति को पहुंचाई गई किसी प्रकार की क्षिति का हर्जाना शामिल नहीं होगा। यदि आयोजनकर्ता, कार्यक्रम के आयोजन के परिणाम स्वरूप उत्सर्जित कचरे की सफाई, संग्रहण और ढुलाई में डीसीबी की सेवाएं प्राप्त करना चाहते हों, तो उन्हें डीसीबी के सम्बद्ध उपायुक्त को आवेदन करना होगा तथा इस प्रयोजन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा तय किया गया अपेक्षित शुल्क जमा कराना होगा।
- (vi) खाली प्लाट पर ठोस कचरा डम्प करने और गैर—निर्दिष्ट स्थानों पर निर्माण और विध्वंस कचरा डाले जाने की स्थितियों से डीसीबी निम्नांकित ढंग से निपटेगा :--
  - (क) डीसीबी किसी परिसर के मालिक / अधिभोगी को नोटिस भेज सकता है, जिसमें ऐसे मालिक / अधिभोगी से उक्त परिसर पर डाले गए किसी भी प्रकार के कचरे को नोटिस में वर्णित तरीके और समय सीमा के भीतर हटाने को कहा जाएगा।
  - (ख) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाएं पूरी करने में विफल रहता है, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर निर्धारित दंड का भूगतान करना होगा।
  - (ग) यदि नोटिस पाने वाला व्यक्ति नोटिस में वर्णित अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो डीसीबी निम्नांकित कार्रवाई कर सकता है :
    - (i) ऐसे परिसर में प्रवेश कर कचरे को साफ करना; और
    - (ii) अधिभोगी से कचरा साफ करने पर किए गए व्यय को वसूल करेगा।

## (vii) डिस्पोजेबल उत्पादों और सेनिटरी नेपिकन तथा डायपर्स के विनिर्माताओं या ब्रैंड मालिकों का दायित्व :

- (क) डिस्पोजेबल उत्पादों जैसे टिन, कांच, प्लास्टिक पैकेजिंग आदि के सभी विनिर्माताओं अथवा डीसीबी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारों में ऐसे उत्पाद प्रारंभ करने वाले ब्रैंड मालिकों को कचरा प्रबंधन प्रणाली की स्थापना के लिए डीसीबी को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। डीसीबी इस प्रावधान के कार्यान्वयन के लिए केंद्र सरकार और / या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सम्बद्ध विभागों के साथ समन्वय कर सकता है।
- (ख) ऐसे सभी ब्रैंड मालिकों को, जो गैर—जैव अपघटीय पैकेजिंग सामग्री में अपने उत्पाद बेचते या विपणन करते हैं, उन्हें ऐसी प्रणाली कायम करनी होगी, जिसमें उनके उत्पादन के कारण उत्सर्जित पैकेजिंग कचरे को वापस लिया जा सके।
- (ग) सेनिटरी नेपिकन्स और डायपर्स विनिर्माता या ब्रैंड मालिक या विपणन कंपिनयां इस बात की संभावनाओं का पता लगाएंगी कि उनके उत्पादों में सभी रीसाइकिल योग्य पदार्थों का इस्तेमाल किस हद तक किया जा सकता है अथवा वे अपने सेनिटरी उत्पादों के पैकेट के साथ एक ऐसा पाउच या रैपर उपलब्ध कराएंगी, जिनमें ऐसे नेपिकन या डायपर का निपटान किया जा सके।
- (घ) ऐसे सभी विनिर्माता, ब्रेंड मालिक या विपणन कंपनियां अपने उत्पादों की रैपिंग और डिस्पोजल के लिए लोगों को शिक्षित करेंगी।

(viii) ईंधन इस्तेमाल करने वाली और ठोस कचरा आधारित आरडीएफ प्लांट से एक सौ किलोमीटर के दायरे में स्थित सभी औद्योगिक इकाइयां अपनी ईंधन की जरूरत का कम से कम 5 प्रतिशत भाग इस तरह उत्पादित रिफ्यूज्ड डेराइड ईंधन से पूरा करेंगी।

#### 14. डीसीबी के दायित्व :

- (i) डीसीबी अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले भूभाग में सभी साझा गिलयों / मार्गों, सार्वजिनक स्थलों, अस्थाई बिस्तयों, मिलन क्षेत्रों, बाजारों, स्वयं के उद्यानों, बागों, नािलयों आदि की सफाई की नियमित प्रणािली सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा। वह इसके लिए मानव संसाधन और मशीनें लगाएगा तथा घोषित संग्रहण कंटेनरों से कचरा एकत्र करने और उसे हर रोज बंद वाहनों में अंतिम निपटान स्थल तक पहुंचाने के लिए बाध्य होगा, जिसके लिए डीसीबी अपने सफाई स्टाफ और वाहनों के अलावा, अनुबंध के आधार पर प्राइवेट पािर्टियों को काम पर लगा सकता है, अथवा सरकारी—निजी भागीदारी व्यवस्था का सहारा ले सकता है। इसके अतिरिक्त डीसीबी सभी वािणिज्यक क्षेत्रों ऐसे वािणिज्यक क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिनमें दिन में दो बार झाडू लगाने की आवश्यकता हो।
- (ii) डीसीबी अथवा उसके द्वारा संलग्न अधिकृत एजेंसी सार्वजनिक मार्गों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, धार्मिक स्थलों और वाणिज्यिक क्षेत्रों आदि के आसपास पर पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त आकार के कूड़ेदानों का रख-रखाव करेगा।
- (iii) डीसीबी विकेंद्रीकृत और नियमित ढंग से ठोस कचरा प्रबंधन गतिविधियों के प्रयोजन के लिए प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड अधिकारी निर्दिष्ट करेगा, तािक वह कंटेनरों, सार्वजनिक शौचालयों, सामुदायिक शौचालयों अथवा सार्वजनिक स्थानों पर बने पेशाबघरों, सार्वजनिक कचरे के लिए बनाए गए ट्रांसफर स्टेशन, लैंडिफल प्रोसेसिंग यूनिटों आदि स्थलों की निगरानी रख सके।
- (iv) सक्षम प्राधिकारी टोस कचरे के प्रथक्ककरण, संग्रह, ढुलाई, प्रसंस्करण और निपटान कार्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए पर्याप्त संख्या में वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेगा, जिनमें कम से कम अपर उपायुक्त या समकक्ष रैंक के अधिकारियों को वरीयता दी जाएगी।
- (v) प्रत्येक वार्ड निर्धारित मानदंड के आधार पर स्वीपिंग बीट्स में विभाजित किया जाएगा और उसमें तदनुरूप कार्मिक तैनात किए जाएंगे या वर्तमान तैनाती को युक्तिसंगत बनाया जाएगा तथा अद्यतन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए उनके काम पर निगरानी रखी जाएगी। डीसीबी जहां कहीं स्वयं के स्टाफ से स्वीपिंग कराने में असमर्थ होगा, तो वह अनुबंध के जरिए बाहरी एजेंसियों से यह काम करा सकता है। प्रत्येक बीट का निरीक्षण दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित दैनिक आधार पर सुपरवाइजिंग अधिकारियों द्वारा किया जाएगा।
- (vi) डीसीबी अद्यतन सड़क / गली क्लिनिंग मशीनों, मैकेनिकल स्वीपरों अथवा अन्य उपकरणों का इस्तेमाल करेगा, जिनसे झाडू लगाने और नालियों की सफाई की सक्षमता में सुधार होगा।
- (vii) डीसीबी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान के माध्यम से जागरूकता और संवेदनशीलता पैदा करेगा तथा कचरा उत्सर्जकों और अन्य हितभागियों को एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप—िनयमों के विभिन्न प्रावधानों के बारे में शिक्षित करेगा, जिसमें इस्तेमालकर्ता शुल्क और जुर्माना/दंड संबंधी प्रावधानों की जानकारी पर विशेष बल दिया जाएगा।
- (viii) डीसीबी कचरा उत्सर्जकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेगा कि वे गीले कचरे का स्रोत पर उपचार करें। डीसीबी विकेंद्रीकृत प्रौद्योगिकियों, जैसे बायो—मिथेनेशन, कम्पोस्टिंग आदि अपनाने के लिए प्रोत्साहन देने पर भी विचार कर सकता है। इन प्रोत्साहनों में परिवारों, निवासी कल्याण संगठनों और संस्थानों आदि को पुरस्कार

- और सम्मान प्रदान करना, उनके नाम सम्बद्ध वेबसाइटों में प्रकाशित करना अथवा संपत्ति कर आदि में छूट प्रदान करना शामिल हो सकते हैं।
- (ix) डीसीबी स्वयं द्वारा रख-रखाव किए जा रहे सभी पार्कों, उद्यानों और जहां कहीं संभव हो, अपने अधिकार क्षेत्र वाले अन्य स्थानों पर चरणबद्ध तरीके से रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग समाप्त करेगा और उनमें कम्पोस्ट का इस्तेमाल करेगा। अनौपचारिक कचरा रीसाइकलिंग क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले रीसाइकलिंग उपायों के लिए प्रोत्साहन भी प्रदान किए जा सकते हैं।
- (x) डीसीबी ठोस कचरा प्रबंधन प्रणालियों को सुचारू और औपचारिक बनाने के उपाय करेगा और यह प्रयास करेगा कि कचरा प्रबंधन में अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिकों (कचरा बीनने वालों) को वरीयता दी जाए, तािक उनकी कार्य स्थितियों को उन्नत बनाया जा सके और उन्हें ठोस कचरा प्रबंधन की औपचारिक प्रणाली में समाहित एवं एकीकृत किया जा सके।
- (xi) डीसीबी यह सुनिश्चित करेगा कि स्वच्छता सेवा के सुविधा प्रदाता द्वारा अपने उन सभी श्रमिकों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण सिहत वर्दी, फ्लोरेसेंट जैकेट, दस्ताने, रेनकोट, समुचित फुटवियर और मास्क प्रदान किए जाएं, जो ठोस कचरा परिचालन कार्य करते हैं और यह भी कि ऐसे श्रमिकों द्वारा इन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाए।
- (xii) डीसीबी कचरे के संग्रहण, परिवहन और परिचालन में शामिल स्वयं के और बाहरी एजेंसी के स्टाफ की व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगा और इसके लिए उन्हें व्यक्तिगत संरक्षा के उपयुक्त और समुचित उपकरण प्रदान करेगा।
- (xiii) किसी ठोस कचरा प्रोसेसिंग या उपचार या निपटान केंद्र अथवा लैंडिफल साइट पर कोई दुर्घटना होने की स्थिति में, उस केंद्र का प्रभारी अधिकारी तत्काल डीसीबी को रिपोर्ट करेगा, जो स्थिति की समीक्षा करने के बाद उस केंद्र के प्रभारी अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी करेगा।
- (xiv) नियमित जांच : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डिप्टी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी वार्ड के विभिन्न भागों और ठोस कचरे के संग्रहण, ढुलाई, प्रोसेसिंग और निपटान से संबंधित अन्य स्थानों की नियमित जांच करेगा तािक यह सुनिश्चित किया जा सके कि एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप—नियमों के विभिन्न प्रावधनों का पालन हो रहा है।
- (xv) डीसीबी अपने मुख्यालय में कॉल सेंटर की स्थापना के जरिए सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) विकसित करेगा। इस पीजीआरएस में एसएमस आधारित सेवा, मोबाइल अप्लीकेशन अथवा वैब आधारित सेवाएं शामिल हो सकती हैं।
- (xvi) डीसीबी एसडब्ल्यूएम नियमों और इन उप—िनयमों के कार्यान्वयन से सम्बद्ध कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने और उस पर निगरानी रखने के लिए अपने मुख्यालय/सभी अंचलों/वार्ड कार्यालयों आदि में बायो—मीट्रिक/स्मॉर्ट कार्ड प्रोद्योगिकियों/आईसीटी प्रणाली कायम करेगा तथा ऐसी प्रणाली को वेतन/दिहाड़ी/पारिश्रमिक के साथ एकीकृत करने के प्रयास करेगा।
- (xvii) पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच : अधिक पारदर्शिता और सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए डीसीबी अपनी वेबसाइट के जरिए सभी आवश्यक सूचनाएं प्रदान करेगा।
- (xviii) डीसीबी एसडब्ल्यूएम नियमों में वर्णित सभी अन्य दायित्व पूरे करेगा, जो इन उपनियमों में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं किए गए हैं।

#### अध्याय-10

#### विविध

- 15. इन उपनियमों की व्याख्या या कार्यान्वयन में कोई संदेह या किठनाई आने की स्थिति में उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डीसीबी के समक्ष रखा जाएगा, जिसका निर्णय ऐसे मामले में अंतिम होगा।
- 16. सरकारी निकायों के साथ समन्वय : डीसीबी अन्य सरकारी एजेंसियों और प्राधिकरणों के साथ समन्वय करेगा, तािक इन उपनियमों का अनुपालन ऐसे निकायों के अधिकार क्षेत्र या नियंत्रण में आने वाले इलाकों में सुनिश्चित किया जा सके। कोई किठनाई होने की स्थित में मामले को रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव के समक्ष विचारार्थ रखा जाएगा।
- 17. सक्षम प्राधिकारी ठोस कचरा प्रबंधन नियम 2016 और इन उप—नियमों के समुचित कार्यान्वयन के लिए समय समय पर सामान्य या विशेष आदेश जारी कर सकते हैं।

अनुसूची-1 ठोस कचरा प्रबंधन के लिए इस्तेमालकर्ता शुल्क

1	2	3
क्र सं	श्रेणी	प्रत्येक परिसर/आवास/ रिहायशी
		इकाई / फ्लैट से प्रति माह
		इस्तेमालकर्ता शुल्क (रुपये में)
1.	आवासीय यूनिट	
(i)	50 वर्ग मीटर तक	50
(ii)	50 वर्ग मीटर से अधिक 200 वर्ग मीटर तक	100
(iii)	200 वर्ग मीटर से अधिक	200
2.	गली विक्रेता	100
3.	व्यापरिक प्रतिष्ठान, दुकानें, खाने–पीने के स्थान (ढाबा, हलवाई की	500
	दुकान / कॉफी हाउस अदि)	
4.	गेस्ट हाउस/धर्मशाला	2,000
5.	होस्टल	2,000
6.	50 लोगों तक की सीटिंग वाले रेस्त्रां	2,000
7.	50 से अधिक लोगों तक की सीटिंग वाले रेस्त्रां	3,000
8.	होटल (बिना स्टार)	2,000
9.	होटल (3 स्टार तक)	3,000
10.	होटल (3 स्टार से अधिक)	5,000
11.	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, कोचिंग कक्षाएं, शैक्षिक संस्थान आदि	2,000
12.	विलनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं (50 बिस्तर तक के) केवल गैर–बायोमेडिकल कचरे के लिए	2,000
13.	क्लिनिक, औषधालय, प्रयोगशालाएं (50 से अधिक बिस्तरों वाले) केवल गैर–बायोमेडिकल कचरे के लिए	4,000
14.	लघु एवं कुटीर उद्योग, वर्कशॉप (केवल गैर जोखिमपूर्ण कचरा)	3,000
15.	गोदाम, कोल्ड स्टोरेज (केवल गैर जोखिमपूर्ण कचरा)	5,000
16.	विवाह, पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लॉन, प्रदर्शनी और मेले	5,000
17.	क्लब, सिनेमा हाल, पब्स, मल्टीप्लैक्सेज और अन्य ऐसे स्थल	4,000
18.	किसी अन्य श्रेणी में कवर न किए गए गैर–वाणिज्यिक, वाणिज्यिक या	2,000
	धर्मार्थ संस्थान	
19.	उपरोक्त संस्थानों में शामिल न किए गए अन्य स्थल / गतिविधियां	डीसीबी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी, द्वारा सामान्य या विशेष आदेश के जरिए किए गए निर्णय के अनुसार।

इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार का भुगतान मांग जारी होने से 30 दिन के भीतर न किए जाने की स्थिति में इस्तेमालकर्ता शुल्क / प्रभार पर 10 प्रतिशत की दर से विलंब भुगतान / प्रभार (एलपीएससी) लगाया जाएगा।

अनुसूची – 2 जुर्माना / दंड

			0 :0	
क्र. सं.	नियम/उप नियम संख्या	अपराघ	निम्नांकित पर लागू	प्रत्येक चूक के लिए जुर्माना (रुपये में)
1	एसडब्ल्यूएम नियमों का	कचरे को पृथक करने और संग्रह	आवासीय	200
	नियम 4 (1)(क)	करने तथा पृथक्कृत कचरे को इन नियमों के अनुसार सौंपने में विफल रहना	5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले विवाह / पार्टी हाल, फेस्टिवल हाल, पार्टी लान, प्रदर्शनी और मेले स्थल	10,000
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले क्लबों, सिनेमाघरों, पब्स, सामुदायिक हॉल, मल्टी प्लेक्सेज और अन्य ऐसे स्थल	5000
			5000 वर्ग मीटर से कम क्षेत्र वाले अन्य गैर—आवासीय स्थान	500
2	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम ४ (1)(ख) और (घ)	<ul> <li>नियमानुसार सेनिटरी कचरे का निपटान करने में विफल रहना</li> <li>नियम के अनुसार बागवानी और</li> </ul>	आवासीय	200
		उद्यान कचरे के निपटान में विफल रहना	गैर–आवासीय	500
3	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम ४ (१)(ग)	नियम के अनुसार निर्माण और विध्वंस कचरे के निपटान में विफल रहना		1000
	(,,(,		गैर–आवासीय	5000
4	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम ४ (२)	डोस कचरे को खुले में जलाना	उल्लंघनकर्ता	5000
5	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 4 (4)	बिना किसी गैर लाइसेंसीकृत स्थल पर 100 व्यक्तियों से अधिक की भागीदारी के साथ कार्यक्रम या सभा आयोजित करना	आयोजित करने वाले व्यक्ति अथवा ऐसा व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की गई हो और इवेंट मैनेजर यदि कोई हो, जिसने ऐसा कार्यक्रम या सभा आयोजित की हो	10,000
6	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम ४ (5)	नियम के अनुसार कचरे का निपटान करने में विफल रहने वाला गली विक्रेता	उल्लंघनकर्ता	200
7	एसडब्ल्यूएम नियमों का नियम 15 (जी) के साथ पठित उप नियम 13 (i)	गंदगी फैलाना	अपराधी	500

	निम्नांकित उल्लंघनों के लिए महीने में केवल एक बार जुर्माना लगाया जाएगा			
8	एसडब्ल्यूएम नियमों का	5	निवासी कल्याण एसोसिएशन	10,000
	नियम 4 (6)	में विफलता	बाजार एसोसिएशन	20,000
9	एसडब्ल्यूएम नियमों का	_	द्वारबंद समुदाय	10,000
	नियम 4 (7)	में विफलता	संस्थान	20,000
10	एसडब्ल्यूएम नियमों का	5	होटल	50,000
	नियम 4 (8)	में विफलता	रेस्त्रां	20,000
11	एसडब्ल्यूएम नियमों का			1,00,000
	नियम 17 (2)	कचरे को वापस लेने की प्रणाली	ऑनर	
		कायम किए बिना डिस्पोजेबल उत्पादों		
		की बिक्री अथवा विपणन		
12	एसडब्ल्यूएम नियमों का	नियमों के अनुसार उपाय करने में	विनिर्माता और/या ब्रैंड	50,000
	नियम 17 (3)	विफलता	ओनर और/या विपणन	
			कंपनियां	
13	एसडब्ल्यूएम नियमों का	रिफ्यूज्ड ड्राइब्ड फ्यूल के जरिए ईंधन	औद्योगिक यूनिट	1,00,000
	नियम 18	की जरूरत को स्थानापन्न करने में		
		विफलता		

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर, प्रमोद कुमार गोयल, उप सचिव (एम बी)

# DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT NOTIFICATION

Delhi, the 15th January, 2018

**F. No.13 (253)/UD/MB/2017/284.**—In pursuance of orders of the Hon'ble High Court of Delhi in CM No.22698-99/2017 & 24626/2017 in WP(C) 8917/2015, WP(C) 9006/2015, WP(C) 9480/2017 and WP(C) 9664/2017 and CM No.39355/2017 dated 19/09/2017, 15/11/2017 and 05/12/2017 and in exercise of powers conferred under Section 5 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and Rule 4(5) of the Environment (Protection) Rules, 1986 read with Notification No. U-11030/J/91-UTL dated 10.09.1992, the Hon'ble Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby directs the Delhi Cantonment Board to give effect to the following Bye-Laws for Management of Solid Waste in its jurisdiction, as framed by the Delhi Cantonment Board, in exercise of powers under Rule 15 (e), 15(f) and 15 (zf) of the Solid Waste Management Rules, 2016, framed by the Central Government, in exercise of powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986).

#### CHAPTER I

#### **GENERAL**

- 1. **Short Title and Commencement:** (1) These bye-laws shall be called the Delhi Cantonment Board Solid Waste Management Bye-Laws, 2017.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. **Applicability:** These bye-laws shall be applicable within the territorial limits of Delhi Cantonment Board (hereinafter referred to as 'DCB').

#### 3. **Definitions:**

- (1) In these bye-laws, unless the context otherwise requires,-
  - (a) "Bulk Garden and Horticultural Waste" means bulk waste from parks, gardens etc. including grass clippings, weeds, woody 'brown' carbon-rich material such as pruning, branches, twigs, wood chipping, straw, dead leaves, tree trimmings, etc. which cannot be accommodated in the daily collection system for bio-degradable waste;
  - (b) "Bulk Waste Generator" means bulk waste generator defined under Rule 3(1)(8) of the Solid Waste Management Rules, 2016 (hereinafter referred to as 'SWM Rules') and any other waste generator notified by the Assistant Commissioner or equivalent of the concerned ward office or the officers senior to him;
  - (c) "Collection" means lifting and removal of solid waste from source of waste generation, collection points or any other location;
  - (d) "Competent Authority" means the Chief Executive Officer of DCB or any person authorized by him.
  - (e) "Construction and Demolition waste" shall have the same meaning as defined under Rule 3(1)(c) of the Construction and Demolition Waste Rules, 2016;
  - (f) "Clean Area" means the public place in front of and all around or adjacent to any premises extending to the kerb side and including the drain, foot path and kerb cleaned and so maintained in accordance with these bye-laws;
  - (g) "Community Waste Storage Bin (Dhalao)" means any storage facility set up and maintained by DCB or collectively by owners and/or occupiers of one or more premises for storage of solid waste in a segregated manner on the roadside/in premises of any one of such owners/occupiers or in their common premises as authorized by the competent authority;
  - (h) "Containerised Hand Cart" means the hand cart provided by DCB or the agency/agent appointed by it for point-to-point collection of solid waste;
  - (i) "Delivery" means handing over any category of solid waste to worker of DCB or any other person appointed, authorized or licensed by DCB for taking delivery of such waste or depositing it in any vehicle provided by DCB or by any other authorized agency or licensed by DCB to do so;
  - (j) "E-waste" shall have the same meaning as defined under Rule 3(1)(r) of the E-Waste (Management) Rules, 2016.
  - (k) "Fixed Compactor Transfer Station (FCTS)" means a powered machine which is designed to compact segregated solid waste and remains stationary when in operation. The compactor may also be mobile when in operation, which may be called Mobile Transfer Station (MTS).
  - (l) "Litter" means all refuse and includes any other waste material which, if thrown or deposited as prohibited under these bye-laws, tends to create nuisance or danger to any person, animal, environment or public health, safety and welfare;
  - (m) "Littering" means causing, putting, burying, permitting or allowing litter in such a location that it falls, descends, blows, is washed, percolates or otherwise escapes or is likely to fall, descend, blow, be washed, percolate or otherwise escape into or onto any open or public place;
  - (n) "Owner" means any person who exercises the rights of an owner of any building, or land or part thereof;

- (O) "Occupier/occupant" means any person who is in occupation of or in possession and includes any person who for the time being is using, any land or building or part thereof, for any purpose whatsoever;
- (p) "Pelletisation" means a process whereby pellets are prepared which are small cubes or cylindrical pieces made out of solid waste and includes fuel pellets which are also referred as refuse derived fuel;
- (q) "Prescribed" means prescribed by SWM Rules and/or these bye-laws;
- (r) "Public place" means any such place which is open to the use and enjoyment of the public, whether it is actually used or enjoyed by the public or not"
- (S) "Storage" means the temporary containment of solid waste in a manner so as to prevent littering, attraction to vectors, stray animals and excessive foul odour;
- (t) "Sanitary worker" means a person employed by DCB/agency for collecting or removing solid waste or cleansing the drains in DCB areas;
- (u) "Schedule" means the Schedule appended to these bye-laws;
- (V) "User fee / Charges" means fees or charges imposed by DCB, through general or special order of the Competent Authority from time-to-time, on the waste generator to cover full or part cost of providing solid waste collection, transportation, processing and disposal services;
- (W) "Vacant Plot" means any land or open space belonging to a private party/person/Govt. agency that is not occupied.
- (2) The words and expressions used but not defined herein shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Solid Waste Management Rules, 2016 and the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.

### CHAPTER II SEGREGATION AND PRIMARY STORAGE OF SOLID WASTE

#### 4. Segregation and storage of solid waste at source:-

- (i) It shall be necessary for all waste generators to separate and store the solid waste coming out of their own places regularly into three streams namely:-
  - (a) non-biodegradable or dry waste
  - (b) biodegradable or wet waste
  - (c) domestic hazardous waste and deposit it into covered waste bins, and handover segregated waste to designated waste collectors as per the direction of DCB from time to time.
- (ii) Every bulk waste generator is to separate and store the solid waste coming out of their own places into three streams namely:-
  - (a) non-biodegradable or dry waste
  - (b) biodegradable or wet waste
  - (c) hazardous waste in suitable bins and handover segregated waste to authorized waste processing or disposal facilities or deposition centres through the authorized waste collection agency with paying the carrying charges specified by DCB from time to time.
- (iii) The colour of bins for storage of segregated waste shall be: green- for biodegradable waste, blue for non-biodegradable or dry waste, black- for domestic hazardous waste.
- (iv) All resident welfare and market associations shall, in partnership with DCB, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable

material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by DCB.

- (v) All gated communities and institutions with more than 5,000 sqm area shall, in partnership with DCB, ensure segregation of waste at source by the generators, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or biomethanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by DCB.
- (vi) All hotels and restaurants shall, in partnership with DCB, ensure segregation of waste at source, facilitate collection of segregated waste in separate streams, handover recyclable material to either the authorised waste pickers or the authorised recyclers. The bio-degradable waste shall be processed, treated and disposed off through composting or bio-methanation within the premises as far as possible. The residual waste shall be given to the waste collectors or agency as directed by DCB.
- (vii) No person shall organise an event or gathering of more than one hundred persons at any unlicensed place without intimating DCB online along with payment of user fee as prescribed in the schedule, at least three working days in advance and such person or the organiser of such event shall ensure segregation of waste at source and handing over of segregated waste to waste collector or agency as specified by DCB.
- (viii) Used sanitary waste are to be securely wrapped as and when generated in the pouches provided by the manufacturers or brand owners of these products or in a news paper or suitable biodegradable wrapping material and place the same in the bin meant for non-biodegradable waste or dry waste.
- (ix) Every street vendor shall keep suitable containers for storage of segregate waste generated during the course of his activity such as food waste, disposable plates, cups, cans, wrappers, coconut shells, leftover food, vegetables, fruits, etc., and shall deposit such waste at waste storage depot or container or vehicle as notified by DCB.
- (x) Waste generator of garden and horticulture waste generated from his premises shall store such waste separately in his own premises and dispose of the same as per the directions of DCB from time to time.
- (xi) Domestic Hazardous Waste shall be stored and delivered by every waste generator to the collection vehicle which shall be provided weekly/periodically by DCB or any other Agency authorized by it or Govt. of NCT of Delhi or the Delhi Pollution Central Committee (DPCC) for collection of such waste, or to a centre designed for collection of such waste for disposal in a manner that is mandated by the Government of NCT of Delhi or DPCC.
- (xii) Construction and Demolition Waste shall be stored and delivered separately as per the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
- (xiii) No untreated bio-medical waste, e-waste, hazardous chemicals and industrial waste shall be mixed with solid waste. Such waste shall be disposed of in accordance with the respective rules framed under the Environment (Protection) Act, 1986.
- (xiv) Every owner/occupier of any premises other than designated slaughter houses and markets, who generates poultry, fish and slaughter waste as a result of any commercial activity, shall store the same separately in closed, hygienic condition and deliver it at a specified time, on a daily basis to the DCB's collection vehicle provided for this purpose. Depositing of such waste in any community waste bin is prohibited.
- (xv) Segregated bio-degradable solid waste if not composted by the generators, shall be stored by them within their premises and its delivery shall be ensured to the municipal worker/vehicle/waste picker/waste collector or to the bio-degradable waste collection vehicle provided for specified commercial generators of bulk bio-degradable waste at such times as may be notified from time to time.

## CHAPTER III SOLID WASTE COLLECTION

#### 5. Collection of Solid Waste:-

- (i) In compliance of SWM Rules, door to door collection of segregated solid waste shall be implemented in all areas or wards of DCB, to collect garbage from every house, including slums and informal settlements on a daily basis by integrating the informal door to door collection system with DCB collection system.
- (ii) In order to collect garbage from every house, area-wise specific time slot shall be set and published at conspicuous parts of that area and on the website of DCB. Commonly, time for house to house garbage collection will be set from 6 am to 11 am. For collection of garbage from trading establishments, shops in commercial areas or any other institutional waste generators, commonly the time shall be from 7 am to 12 noon.
- (iii) Arrangements shall be made for collection of residual solid waste from bulk waste generators, which are processing waste in-situ.
- (iv) Residual solid waste from vegetable, fruit, flower, meat, poultry and fish market shall be collected on day to day basis.
- (v) Horticulture and garden waste shall be separately collected and disposed of. One or two days in a week will be specified for this purpose.
- (vi) To make optimum use of bio-degradable waste from fruits and vegetable markets, meat and fish markets, bulk horticulture and garden waste and to minimize the cost of collection and transportation, such waste shall be processed or treated within the area where waste is generated.
- (vii) Manual handling of waste in the containers shall be prohibited. If unavoidable due to constraints, manual handling shall be carried out under proper protection with due care for safety of workers.
- (viii) Waste generators shall be responsible to deposit their segregated waste in the Auto-Tippers/Rickshaws etc deployed by DCB or by the notified authorized waste collector. Segregated waste from multi-storied buildings, apartments, housing complexes (other than those falling under sub-clauses (iv) and (v) of clause 4 of these bye-laws) may be collected from the entry gate or any other designated location.
- (ix) Changing needs and advances in technology shall be taken into consideration for selection of collection equipment and vehicles. Auto-Tippers or vehicles of specific capacity with-hydraulically operated hopper covering mechanism from top having two compartments for carrying biodegradable and non-biodegradable waste separately with a hooter shall be deployed for collection of waste.
- (x) Automatic voice recorded device, bell or horn having sound not more than the permissible noise level shall be installed on every garbage collection vehicle used by waste collectors.
- (xi) Route plans for each primary collection and transportation vehicle shall be provided by DCB or by the notified authorized waste collector. These plans in tabular as well as GIS map form, duly approved by DCB shall mention starting point, start time, waiting points, waiting time on route, end point and end time of the specified Route. DCB or the notified authorized waste collector shall provide a 'Board' at each street to display time-table of primary collection & transportation vehicles to allow residents avail the facility at prescribed time. Such information shall also be uploaded on the website of DCB.
- (xii) In narrow streets that cannot be serviced by auto tipper or the vehicle, a 3-Wheeler or smaller motorized vehicle with hydraulically operated hopper covering mechanism from top having two compartments for carrying wet and dry waste separately with a hooter, compatible with mobile transfer station shall be deployed.

- (xiii) In congested and narrower streets that cannot even be serviced by 3 Wheeler or smaller vehicle, cycle rickshaws or any other type of suitable equipment shall be deployed.
- (xiv) Smaller, narrow and congested streets/lanes where even a 3-wheeler/ rickshaw etc. cannot operate, vantage point/s shall be designated at the start of the locality/street where the collection vehicle shall be parked and the helper/driver of vehicle shall carry a whistle and walk in the locality to announce arrival of vehicle for collecting solid waste. Time table for such collection system shall be displayed at the notice board and uploaded on the website of DCB.
- (xv) Auto tippers, 3-wheelers, rickshaws and any other type of collection vehicles engaged in this service shall collect waste only from households and not from any other source viz. dhalaos, open sites, ground, bins and drains etc.
- (xvi) DCB or its notified authorized waste collectors shall be responsible to cover all the streets/lanes of each zone for the primary collection.

#### CHAPTER IV SECONDARY STORAGE OF SOLID WASTE

#### 6. Storage of solid waste in the secondary storage points:-

- (i) Segregated solid waste collected from doorsteps shall be taken to waste storage depots, community storage bins or fixed or mobile transfer stations or the locations specified by DCB for secondary storage of waste.
- (ii) Such secondary storage points shall have covered containers (of specified colour) for separate storage of:
  - (a) non-biodegradable or dry waste
  - (b) biodegradable or wet waste
  - (c) domestic hazardous waste
- (iii) Different containers shall be used in the areas demarcated by DCB to keep segregated waste in the following manner
  - green- for biodegradable waste,
  - blue for non-biodegradable,
  - black for domestic hazardous waste

DCB shall separately notify, from time to time, mandatory colour coding and other specifications of receptacles prescribed for storage and delivery of different types of solid waste to enable safe and easy collection without any mixing or spillage of waste, which generators of different types of solid waste shall have to adhere to.

- (iv) DCB on its own or through outsourcing agencies shall maintain the storage facilities for solid waste in a manner that does not create unhygienic and unsanitary conditions around it.
- (v) Containers of various sizes in the secondary storage depots shall be provided by DCB or any assigned agencies in different colours as mentioned in these bye-laws.
- (vi) Storage facilities shall be created and established by taking into account quantities of waste generation in a given area and the density of population;
- (vii) Storage facilities shall be user friendly and shall be so designed that it ensures compaction of waste and that the waste stored is not exposed to open atmosphere;
- (viii) All the housing cooperative societies, associations, residential and commercial establishments and gated communities etc. shall have the responsibility to put coloured bins as prescribed by these bye-laws and to keep adequate number of containers in appropriate places in their own complexes, so that the daily waste generated there can be properly deposited.
  - (ix) DCB or its specified agency shall carry out washing and disinfection of all the bins on a weekly basis.

- (x) Recycling Centres for Dry Waste (Non-Biodegradable Waste)
  - a. DCB shall convert its existing Dhalaos or identify specific location as per requirement, as 'Recycling Centres' which shall be used for segregation of dry waste received through street /door to door waste collection service. Recycling centres may be increased depending on the quantity of dry waste received.
  - b. Dry (non-biodegradable) waste from street /door- to-door collection system and from commercial establishments shall be transferred only to these designated 'recycling centres'. These designated centres shall receive only dry waste.
  - c. There shall also be a provision for the households to directly deposit or sell their recyclable dry waste to the authorized agents and/or authorized waste dealers of DCB at these recycling centres at prenotified rates. A weighing scale and a counter shall be provided at each recycling unit for this purpose. The authorized agents and/or authorized waste dealers shall be allowed to dispose of or sell the recyclable waste to the secondary market or recycling units only in consonance with the provisions of SWM Rules. The authorized agents and/or authorized waste dealers will be entitled to retain sales realization thereof.
- (xi) Deposition Centre for specified Domestic Hazardous Waste
  - a. For the collection of domestic hazardous waste, a deposition centre will be set up at a suitable location for receiving the specified domestic hazardous waste. Such facility shall be set in each ward in a manner as per guidelines prescribed by the Government and notify the timing of receiving of such waste.
  - b.DCB may also give the responsibility to its agency or concessionaire to collect domestic hazardous waste from all waste generators in segregated manner.
  - c. Such waste shall be transported separately to the hazardous waste disposal facility set up by the Government.

#### CHAPTER V TRANSPORTATION OF SOLID WASTE

#### 7. Transportation of solid waste:-

- (i) Vehicles used for transportation of waste shall be covered in such manner that the collected waste is not exposed to open environment. The vehicles may also include compactors and mobile transfer stations depending upon choice of technology by DCB.
- (ii) The storage facilities set up by DCB shall be attended daily for clearing waste. The areas around the place where the bins or containers are kept shall also be cleaned.
- (iii) Collected segregated bio-degradable waste from residential and other areas shall be transferred to the processing plants like compost plants, bio- methanation plants or any such other facilities in a covered manner.
- (iv) Wherever applicable, for bio-degradable waste, preference shall be given for on-site processing of such waste.
- (v) Collected non-bio-degradable waste shall be transported to the respective processing facilities or secondary storage facilities.
- (vi) Construction and Demolition Waste shall be transported as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016.
- (vii) DCB shall make arrangements for transportation of inerts in a proper manner. The street sweeping waste and removable drain silt shall be removed immediately after the work is over.

- (viii) Transportation vehicles shall be so designed that multiple handling of waste, prior to final disposal, is avoided.
  - (ix) The collection vehicles engaged for the purpose shall deposit /transfer waste only at the MTS or FCTS wherever provided.
  - (x) In case MTS /FCTS is not stationed at the designated location at that point of time for any reason, then the 'loaded vehicle' shall go to the next designated location of the MTS or FCTS or the site specified by DCB to unload the waste.
  - (xi) Fixed compactor transfer station shall be transported through hook loader.
  - (xii) MTS or FCTS shall transport the waste directly to compost plant, waste to energy plant or any other site/plant designated by DCB.
  - (xiii) There should be no inter-mixing of waste from various sources during the transportation of waste.
  - (xiv) The services of street level collection and transportation of waste shall be provided every day including holidays.
  - (xv) MTS engaged in this service shall receive waste only from designated auto tippers, 3 wheelers or vehicle/bins collecting waste from street level operations.
  - (xvi) Dedicated MTS shall be deployed at specified locations to receive waste from the Auto Tippers, 3 Wheelers, Rickshaws etc. engaged in street-level and door-to-door collection of solid waste from households and commercial establishments as per the approved route plans.
  - (xvii) Design of MTS and FCTS shall allow unloading of waste from primary collection vehicles by consuming minimum time and without littering waste.
  - (xviii) Garbage spilled near MTS and FCTS, while transferring the solid waste, should be cleaned so that no spillage is left. Disinfectant should be used after cleaning process at that location.
  - (xix) DCB or its specified agency shall install CCTV cameras at all secondary storage facilities.

#### CHAPTER VI PROCESSING OF SOLID WASTE

#### 8. Processing of solid waste:

- (i) DCB shall facilitate construction, operation and maintenance of solid waste processing facilities and associated infrastructure on their own or through any agency for optimum utilisation of various components of solid waste adopting suitable technology including the following technologies and adhering to the guidelines issued by the Ministry of Urban Development from time to time and standards prescribed by the Central Pollution Control Board:-
  - (a) to minimise transportation cost and environmental impacts, preference shall be given to decentralised processing such as bio-methanation, microbial composting, vermi-composting, anaerobic digestion or any other appropriate processing for bio-stabilisation of biodegradable waste;
  - (b) through medium/large composting/bio-methanation plants at centralised locations;
  - (c) through waste to energy processes by refuse derived fuel for combustible fraction of waste or supply as feedstock to solid waste based power plants; and/or
  - (d) through construction and demolition waste management plants.
- (ii) DCB shall endeavour to create a market for consumption of RDF.

- (iii) In waste to energy plant by direct incineration, absolute segregation shall be mandatory and be part of the terms and conditions of the relevant contracts.
- (iv) DCB shall ensure that recyclables such as paper, plastic, metal, glass, textile etc. go to authorized recyclers.

#### 9. Other guidelines for processing of solid waste –

- (i) DCB shall enforce processing of bio-degradable waste on site of generation of such waste through composting or bio-methanation, as far as possible, at RWAs, group housing societies, markets, gated communities and institutions with more than 5000 sqm. areas, all hotels and restaurants, banquet halls and places of such nature. Preference shall be given for on site processing of biodegradable waste generated by other waste generators as well.
- (ii) DCB shall enforce that markets dealing with vegetables, fruits, flowers, meat, poultry and fish waste while processing bio-degradable waste ensure hygienic conditions.
- (iii) DCB shall enforce processing of horticulture, parks and garden waste separately in the parks and gardens as far as possible.
- (iv)DCB shall involve communities in waste management and promote home composting, bio gas generation, decentralized processing of waste at community level, subject to control of odour and maintenance of hygienic conditions around the facility.

#### CHAPTER VII DISPOSAL OF SOLID WASTE

#### 10. Disposal of Solid waste:

DCB shall undertake on its own or through any other agency, the construction, operation and maintenance of sanitary landfill and associated infrastructure for disposal of residual waste and inert street sweepings and silt from surface drains in a manner prescribed under SWM Rules and any other obligation imposed by any other law for the time being in force.

## CHAPTER VIII USER FEE AND LEVYING OF SPOT FINE / PENALTY

#### 11. User fee for collection, transportation, disposal of solid waste:-

- (a) User fee shall be fixed for providing services for garbage collection, transportation and disposal from waste generators by DCB. The rates of user fee are specified in Schedule-I.
- (b) The user fee so fixed shall be collected from waste generators by DCB or the authorised agency or person as may be authorized by Chief Executive Officer in this behalf.
- (c) DCB shall prepare the database of all the waste generators for the purpose of levying user fee, and evolve appropriate mechanism for billing/collection/ recovery of user charges, within three months from the date of notification of these bye-laws. The database shall be updated regularly.
- (d) DCB shall adopt different methods for collection of user fee including online payment.
- (e) Special days in a month, preferably in first week of each month, shall be fixed for collection of user fee.

- (f) There shall also be a system of yearly or half yearly payment. If the user fee is paid in advance for the entire year, then amount for ten months will be charged instead of twelve months. Similarly, for six months advance payment, five and half months demand amount will be charged instead of six months.
- (g) The user fee mentioned in Schedule -I shall stand automatically increased by 5% per year with effect from 1<sup>st</sup> January of each successive year.
- (h) The user fee shall be collected only by the institution/person authorized by the competent authority by a general or special order in this behalf.
- (i) In case of default of payment of user fee, the competent authority may recover the same from the defaulter as an arrear of tax under the provisions of the Cantonment Board Act, 2006.

#### 12. Fine / Penalty for contravention of SWM Rules:-

- (a) Whosoever contravenes or fails to comply with any of the provisions of SWM Rules or these bye-laws shall be imposed with fine as mentioned in Schedule-II appended to these bye-laws.
- (b) In case of repeated contravention or non-compliance as mentioned in clause (a) above, fine amount for every such default shall be levied per day or month, as the case may be.
- (c) The Chief Executive Officer shall designate officers for levying fine or penalty by a general or special order in this behalf. The fine/penalty amount is specified in Schedule-II.
- (d) The fine or penalty mentioned in Schedule -II shall stand automatically increased by 5% per year with effect from 1<sup>st</sup> January of each successive year.
- (e) The fine shall be levied and collected on the spot by the designated officers. In case of non-payment of fine at the spot, the procedure for prosecution prescribed under provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 shall follow.

## CHAPTER IX RESPONSIBILITIES OF STAKEHOLDERS

#### 13. Responsibilities of Waste Generators:

- (i) Prohibition of littering
  - (a) Littering in any public place: No person shall litter in any public place except in authorized public or private litter receptacles. No person shall repair vehicles, wash/clean utensils or any other object or keep any type of storage in any public place except in such public facilities or conveniences specifically provided for any of these purposes.
  - (b) Littering on any property: No person shall litter on any open or vacant property except in authorized private or public receptacles.
  - (c) Litter-throwing from vehicles: No person, whether a driver or passenger in a vehicle, shall litter upon any street, road, sidewalk, playground, garden, traffic island or other public place.
  - (d) Litter from goods vehicles: No person shall drive or move any truck or other goods vehicle unless such vehicle is so constructed and loaded as to prevent any load, contents or litter from being blown off or deposited upon any road, sidewalks, traffic island, playground, garden or other public place.
  - (e) Litter by owned/pet animals: it shall be the responsibility of the owner of any pet animal including dog, cat etc. to promptly scoop/clean up any litter created by such pet on the street or any public place and take adequate steps for the proper disposal of such waste preferably by their own sewage system.
  - (f) Disposal of waste in drain etc.: No person shall litter in any drain/river/open pond /water bodies.
- (ii) Burning of waste: Disposal by burning of any type of solid waste at public places or at any private or public property is prohibited.
- (iii) "Clean Area": Every person shall endeavour that any public place in front of or adjacent to any premises owned or occupied by him including the footpath and open drain/gutter and kerb is free of any waste, either in solid or liquid form.
- (iv) For Public Gatherings and Events organised in public places for any reason (including for processions, exhibitions, circuses, fairs, political rallies, commercial, religious, socio-cultural events, protests and demonstrations, etc.) where the permission from the Police department and/or from the DCB is

required, it will be the responsibility of the organiser of the event or gathering to ensure the cleanliness of that area as well as all appurtenant areas.

- (v) Refundable Cleanliness Deposit, as may be notified by the DCB, will be taken from the organiser, by the concerned zonal office for the duration of the event. This deposit will be refunded on the completion of the event after it is noted that the said public place has been restored back to a clean state, and any waste generated as a result of the event has been collected and transported to designated sites. This deposit will be only for the cleanliness of the public place and does not cover any damage to property. In case the organisers of the event wish to avail of the services of the DCB for the cleaning, collection and transport of waste generated as a result of that event, they must apply to the concerned Deputy Commissioner or equivalent of the DCB and pay the necessary charges as may be fixed by the Competent Authority for this purpose.
- (vi) Dumping of solid waste on vacant plot and depositing construction and demolition waste at nondesignated locations shall be dealt with by the DCB in the following manner:
  - (a) The DCB may serve a notice on the owner/occupier of any premises, requiring such owner / occupier to clear any waste on such premises in a manner and within a time specified in such notice.
  - (b) If the person on whom the notice has been served fails to comply with the requirements imposed by the notice, such person shall be liable to pay penalties as prescribed from time to time.
  - (c) If the person on whom the notice is served fails to comply with any requirements imposed by such notice, the DCB may
    - (i) Enter on the premises and clear the waste; and
    - (ii) Recover from the occupier the expenditure incurred in having done so.

## (vii) Duty of manufacturers or brand owners of disposable products and sanitary napkins and diapers:

- (a) All manufacturers of disposable products such as tin, glass, plastics packaging, etc., or brand owners who introduce such products in the market within the jurisdiction of DCB shall provide necessary financial assistance to DCB for establishment of waste management system. DCB may also coordinate with the concerned departments of Central Govt. and/or the Govt. of NCT of Delhi for implementation of this provision.
  - (b) All such brand owners who sell or market their products in such packaging material which are non-biodegradable shall put in place a system to collect back the packaging waste generated due to their production.
  - (c) Manufacturers or brand owners or marketing companies of sanitary napkins and diapers shall explore the possibility of using all recyclable materials in their products or they shall provide a pouch or wrapper for disposal of each napkin or diapers along with the packet of their sanitary products.
  - (d) All such manufacturers, brand owners or marketing companies shall educate the masses for wrapping and disposal of their products.
- (viii) All industrial units using fuel and located within one hundred km from a solid waste based refuse derived fuel plant shall make arrangements to replace at least five percent of their fuel requirement by refused derived fuel so produced.

#### 14. Responsibilities of DCB:

- (i) DCB shall within its territorial area, be responsible for ensuring regular system of surface cleaning of all common streets / roads, public places, temporary settlements, slum areas, markets, its own parks, gardens, drains etc. by employing human resources and machines and shall be bound to collect the garbage from the declared storage containers, and transport it every day to the final disposal point in closed vehicles for which DCB may engage private parties on contract or Public Private Partnership mechanism, apart from its own cleaning staff and vehicles. In addition, DCB shall identify all the commercial areas for carrying out sweeping twice a day.
- (ii) DCB or the authorized agency engaged by it shall provide and maintain sufficient number of community litter bins of sufficient size on public roads, in surroundings of railway stations, bus stops, religious places, in commercial areas etc.

- (iii) DCB for the purpose of managing solid waste activities in decentralized and regular manner shall designate one ward officer in every ward to supervise the spots of containers, public toilets, community toilets or urinals in public places, transfer station for public garbage, landfill processing units etc.
- (iv) The competent authority shall designate sufficiently senior Officer/s, preferably not below the rank of Additional Deputy Commissioner or equivalent, as Nodal Officer/s to monitor the progress of segregation, collection, transportation, processing and disposal of solid waste.
- (v) Each ward shall be divided into sweeping beats based on the prescribed parameter and deploy manpower accordingly or rationalize the existing deployment and monitor their work by using latest technology. Wherever it is unable to get sweeping through its own staff, it may outsource through contract. Each beat shall be inspected by the supervising officials on daily basis prescribed as per directions.
- (vi) DCB shall employ latest road/street cleaning machines, mechanical sweepers or other equipments which improves the efficiency of sweeping and drainage cleaning.
- (vii) DCB shall create awareness and sensitization through Information, Education and Communication (IEC) campaign and educate the waste generators and other stakeholders about the various provisions of SWM Rules and these bye laws with special emphasis on user fee and fines/penalties.
- (viii) DCB shall encourage waste generators to treat wet waste at source. It may consider creating systems for incentives for adoption of decentralized technologies such as bio-methanation, composting etc. Incentives may be like awarding and recognizing the households, RWAs and institutions etc. by giving certificates, by publishing their names on respective websites or rebate in property tax etc.
- (ix) DCB shall phase out the use of chemical fertilizers and use compost in all parks, gardens maintained by it and wherever possible in other places under its jurisdiction. Incentives may be provided to recycling initiatives by informal waste recycling sector.
- (x) DCB shall make efforts to streamline and formalize solid waste management systems and endeavour that the informal sector workers in waste management (waste pickers) are given priority to upgrade their work conditions and are enumerated and integrated into the formal system of solid waste management.
- (xi) DCB shall ensure that the operator of a facility provides personal protection equipment including uniform, fluorescent jacket, hand gloves, raincoats, appropriate foot wear and masks to all workers handling solid waste and the same are used by the workforce.
- (xii) DCB shall ensure occupational safety of its own staff and staff of outsourced agency involved in collection, transport and handling of waste by providing appropriate and adequate personal protective equipments.
- (xiii) In case of an accident at any solid waste processing or treatment or disposal facility or landfill site, the officer- in- charge of the facility shall report to DCB immediately which shall review and issue instructions, if any, to the in- charge of the facility.
- (xiv) Regular checks: The Chief Executive Officer, Deputy Commissioner or equivalent or any other officer authorised by the Chief Executive Officer shall conduct regular checks in various parts of the wards and other places of collection, transportation, processing and disposal of solid waste to supervise compliance of various provisions of SWM Rules and these bye laws.
- (xv) DCB shall develop a public grievance redressal system (PGRS) by setting up of call centre at its head quarter. The PGRS may include SMS based service, mobile application or web based services.

- (xvi) DCB shall install bio-metric/smart card technologies/ICT System for tracking and recording attendance of employees associated with the working of SWM Rules and these bye-laws at HQ/all zones/ward offices etc. and shall make an endeavour to integrate such system with the salary/wages/ remuneration.
- (xvii) Transparency and Public Accessibility: To ensure greater transparency and public accessibility, DCB shall provide all necessary information through its website.
- (xviii) DCB shall perform all other duties mentioned in SWM Rules, which have not been specifically mentioned in these bye-laws.

#### **CHAPTER-X**

#### **MISCELLANEOUS**

- 15. If any doubt or difficulty arises in the interpretation or implementation of these bye- laws, the same shall be placed before the Chief Executive Officer, DCB, whose decision in the matter shall be final.
- 16. Co-ordination with Government Bodies: DCB shall co-ordinate with other government agencies and authorities, to ensure compliance of these bye-laws within areas under the jurisdiction or control of such bodies. In case of any difficulty matter shall be placed before Chief Secretary of Government of NCT of Delhi.
- 17. The competent authority may issue general or special orders from time to time for proper implementation of Solid Waste Management Rules, 2016 and these bye-Laws.

# SCHEDULE- I USER FEE FOR SOLID WASTE MANAGEMENT

1	2	3
S. No.	Categories	User Fee from each premises/ House/ Dwelling Unit/ Flat per month
		(in Rupees)
1.	Residential dwelling unit	
(i)	up to 50 sq. m.	50
(ii)	over 50 sq. m. up to 200 sq. m.	100
(iii)	over 200 sq. m.	200
2.	Street Vendor	100
3.	Commercial establishments, shops, eating places (Dhaba/sweet shops/coffee house etc.)	500
4.	Guest House/ Dharmshalas	2,000
5.	Hostel	2,000
6.	Restaurants up to the sitting of 50 persons	2,000
7.	Restaurants with sitting of more than 50 persons	3,000
8.	Hotel (Unstarred)	2,000
9.	Hotel (Up to 3 star)	3,000
10.	Hotel (Over 3 star)	5,000
11.	Commercial offices, government offices, bank, insurance offices, coaching classes, educational institutes etc.	2,000
12.	Clinic, dispensary, laboratories (upto 50 beds) only non-bio medical waste	2,000
13.	Clinic, dispensary, laboratories (more than 50 beds) only non- bio medical waste	4,000
14.	Small and cottage industry, workshops (only non-hazardous waste)	3,000
15.	Godowns, cold storages (only non-hazardous waste)	5,000
16.	Marriage/Party Halls, festivals halls, Party Lawns, exhibition	5,000

		and fairs	
Ī	17.	Clubs, Cinema Halls, Pubs, Multiplexes and other such places	4,000
ſ	18.	Any other non-commercial, commercial, religious or charitable	
		institutions not covered in any other category	2,000
Ī	19.	Other places/activity not marked as above	As decided by the Chief Executive Officer, DCB by general or special order

Late Payment Surcharge (LPSC) shall be charged at the rate of 10% of the user fee/charges if the user fee/charges are not paid within 30 days of raising the demand.

## SCHEDULE -II FINE/PENALTY

S.No.	Rule/ Bye-Laws No.	Offences	Applicable to	Fine for every default (in Rupees)
1.	Rule 4 (1)(a) of SWM Rules	Failure to segregate and store waste and handover segregated waste in accordance with the Rule	Residential Marriage/Party Halls, Festival Halls, Party Lawns, Exhibition and fairs with area less than 5000 sqm.	200 10,000
			Clubs, Cinema Halls, Pubs, Community Halls, Multiplexes and other such places with area less than 5000 sqm. Other non-residential entities with area less	5,000
2.	Rule 4 (1) (b) and (d) of SWM Rules	<ul> <li>Failure to deal with sanitary waste in accordance with the Rule</li> <li>Failure to deal with horticulture waste and garden waste in accordance with the Rule</li> </ul>	than 5000 sq.m.  Residential  Non Residential	200 500
3.	Rule 4 (1) (c) of SWM Rules	Failure to deal with construction and demolition waste in accordance with the Rule	Residential Non Residential	1,000 5,000
4.	Rule 4 (2) of SWM Rules	Open burning of solid waste	Violator	5,000
5.	Rule 4 (4) of SWM Rules	Organizing an event or gathering of more than one hundred person at any unlicensed place without following the prescribed procedure	Person(s), who has/ve organised such event or gathering or, on whose behalf such event or gathering has been organized and the event manager(s), if any, who has/ve organized such event or gathering.	10,000

6. Rule 4(5) of SWM Rules Street vendor failing to deal with Rule Violator  7. Bye-Law 13 (i) read with Rule 15(g) of SWM Rules Offender  Fine shall be levied only once in a month for the following violations  8. Rule 4(6) of SWM Failure to deal with waste in Resident Welfare 10,000	
7. Bye-Law 13 (i) read with Rule 15(g) of SWM Rules  Fine shall be levied only once in a month for the following violations	
with Rule 15(g) of SWM Rules  Fine shall be levied only once in a month for the following violations	
with Rule 15(g) of SWM Rules  Fine shall be levied only once in a month for the following violations	
Fine shall be levied only once in a month for the following violations	
Fine shall be levied only once in a month for the following violations	
8 Pula 4(6) of SWM Failure to deal with wests in Decident Welfare 10,000	
o. Truic 4(0) of 5 will framme to deal with waste in resident wellare 10,000	
Rules accordance with the Rule Association	
Market Association 20,000	
9. Rule 4(7) of SWM Failure to deal with waste in Gated Community 10,000	
Rules accordance with the Rule Institution 20,000	
10. Rule 4 (8) of SWM Failure to deal with waste in Hotel 50,000	
Rules accordance with the Rule Restaurant 20,000	
11. Rule 17 (2) of SWM Selling or marketing of Manufacturer and/or 1,00,000	
Rules disposable products without a Brand Owner	
system of collecting back the	
packaging waste generated due to	
their production	
12. Rule 17 (3) of SWM Failure to take measure in Manufacturer and/or 50,000	
Rules accordance with the Rule Brand owner and/or	
marketing companies	
13. Rule 18 of SWM Failure to replace fuel Industrial unit 1,00,000	
Rules requirement by refuse derived	
fuel	

By Order and in the Name of Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, PRAMOD KUMAR GOEL, Dy. Secy. (MB)